



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 63]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 26, 2010/फाल्गुन 7, 1931

No. 63]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 26, 2010/PHALGUNA 7, 1931

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्
अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2010

सं. भा.आ.प. 34(41)/2009-मेडि./76567.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः :—

- (i) इन विनियमों को "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली (संशोधन), 2010" कहा जाए।
- (ii) "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :—

3. दिनांक 8-7-2009, 13-11-2009 और 30-1-2010 की अधिसूचना के अंतर्गत "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली (संशोधन) 2009" द्वारा यथासंशोधित "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" की अनुसूची (1) में 'परिसर' शीर्षक के अंतर्गत खंड क.1.1 में, अनुसूची I, खंड क.1.1 में निम्नलिखित चरतुक जोड़कर पुनः संशोधित किया जाए : .

"बशर्ते कि 2008/2009 में यथासंशोधित "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 2009" में किए गए संशोधनों के संबंध में, इसके साथ संलग्न अलग सारणी में दर्शाए गए अनुसार, महानगरों (मुम्बई, कोलकाता, नई दिल्ली और चेन्नई) और 'ए' श्रेणी के शहरों (अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, बंगलौर और कानपुर) में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुमेय एफएआर/ एफएसआई के आधार पर, किसी आयुर्विज्ञान संस्थान अर्थात् कॉलेज, संबद्ध अध्यापन अस्पताल और आवासीय परिसर की पूरी अवसंरचना के लिए आवश्यक निर्मित क्षेत्र कम से कम 10 एकड़ के भूखंड में उपलब्ध कराया जाए।"

ले. क. (से.नि.) डॉ. ए. आर. एन. सीतलवाड, सचिव

[विज्ञापन III/4/असाध./100/09]

पाद टिप्पणी :—प्रधान विनियमावली नामतः "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 30 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 35(1)/1998-मेड(ii) के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल, 1999 को भारत के राजपत्र के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित किया गया था और इसे दिनांक 24 जून, 1999 के शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित और दिनांक 20 अक्टूबर, 2008, 8 जुलाई, 2009, 13 नवम्बर, 2009, 18 जनवरी, 2010 तथा 30 जनवरी, 2010 की अधिसूचना के अंतर्गत पुनः संशोधित किया गया था।

परिशिष्ट

निर्मित क्षेत्र की आवश्यकताएं (50 दाखिले)

| मद विवरण | संख्या | क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) (प्रत्येक) | जोड़ (वर्ग मीटर) | अभ्युक्तियां |
|---|--------|----------------------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| प्रशासनिक ब्लॉक | | | | |
| प्रधानाचार्य/डीन का कार्यालय | | 36 | 36 | |
| स्टाफ रूम | | 54 | 54 | |
| कॉलेज परिषद् रूम | | 80 | 80 | |
| कार्यालय अधीक्षक रूम | | 10 | 10 | |
| कार्यालय | | 150 | 150 | |
| अभिलेख रूम | | 100 | 100 | |
| कॉमन रूम - छात्र | | 50 | 50 | |
| - छात्राएं | | 50 | 50 | |
| कैफेटेरिया | | 100 | 100 | |
| केंद्रीय पुस्कालय | | 1000 | 1000 | |
| व्याख्यान थियेटर | 3 | 220 | 660 | 80 के बैठने की क्षमता |
| | 1 | 400 | 400 | 150 के बैठने की क्षमता |
| ऑडिटोरियम | 1 | 500 | 500 | 250-350 के बैठने की क्षमता |
| कॉमन प्रयोगशालाएं | 6 | 120 | 720 | |
| | 2 | 75 | 150 | |
| केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला | 1 | 100 | 100 | |
| विभाग का जोड़ | | | 4160 | |
| विभाग | | | | |
| शरीर-रचना विज्ञान | | | | |
| प्रदर्शन रूम | 2 | 30 | 60 | कम से कम 25-30 छात्रों के लिए स्थान |
| विच्छेदन हाल | 1 | 175 | 175 | कम से कम 50 छात्रों के लिए स्थान |
| म्यूजियम | | 100 | 100 | म्यूजियम में पढ़ने के लिए 15 छात्रों के लिए स्थान |
| स्टाफ के लिए स्थान | | | | |
| प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष | 1 | 18 | 18 | |
| एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर | 1 | 15 | 15 | |
| सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता | 1 | 20 | 20 | |
| ट्यूटर/प्रदर्शक | 2 | 15 | 30 | |
| विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूम | 1 | 12 | 12 | |
| गैर-शिक्षण स्टाफ रूम | 1 | 12 | 12 | |
| विभाग का जोड़ | | | 442 | |
| जीव-भौतिकी सहित शरीरक्रिया-विज्ञान | | | | |
| प्रदर्शन रूम | 1 | 30 | 30 | कम से कम 25-30 छात्रों के लिए स्थान |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|-----|------------|-------------------------------------|
| स्टाफ के लिए स्थान | | | | |
| प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष | 1 | 18 | 18 | |
| एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर | 1 | 15 | 15 | |
| सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता | 1 | 15 | 15 | |
| ट्यूटर/प्रदर्शक | 2 | 15 | 30 | |
| विभाग कार्यालय/द्विपिकीय रूम | 1 | 12 | 12 | |
| गैर-शिक्षण स्टाफ रूम | 1 | 12 | 12 | |
| विभाग का जोड़ | | | 132 | |
| जीव-रसायन | | | | |
| प्रदर्शन रूम | 1 | 30 | 30 | कम से कम 25-30 छात्रों के लिए स्थान |
| स्टाफ के लिए स्थान | | | | |
| प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष | 1 | 18 | 18 | |
| एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर | 1 | 15 | 15 | |
| सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता | 1 | 12 | 12 | |
| ट्यूटर/प्रदर्शक | 2 | 15 | 30 | |
| विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूम | 1 | 12 | 12 | |
| गैर-शिक्षण स्टाफ रूम | 1 | 12 | 12 | |
| विभाग का जोड़ | | | 129 | |
| रोग-विज्ञान | | | | |
| प्रदर्शन कक्ष | 1 | 25 | 25 | कम से कम 25-30 छात्रों के लिए स्थान |
| म्यूजियम | 1 | 60 | 60 | |
| स्टाफ के लिए स्थान | | | | |
| प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष | 1 | 18 | 18 | |
| एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर | 1 | 15 | 15 | |
| सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता | 2 | 14 | 28 | |
| ट्यूटर/प्रदर्शक | 3 | 15 | 45 | |
| विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूम | 1 | 12 | 12 | |
| गैर-शिक्षण स्टाफ रूम | 1 | 12 | 12 | |
| विभाग का जोड़ | | | 215 | |
| रक्त बैंक (निम्नलिखित सहित) | | 100 | 100 | |
| (क) पंजीकरण और चिकित्सा परीक्षण रूम | | | | |
| (ख) रक्त-संग्रहण रूम | | | | |
| (ग) रक्त समूह सॉरम-विज्ञान की प्रयोगशाला हेतु रूम | | | | |
| (घ) संचारी रोगों जैसे हेपाटाइटिस, सिफलिस, मलेरिया, एचआईवी, शरीर-रोधी आदि की प्रयोगशाला हेतु रूम | | | | |
| निष्कीटन और वाशिंग रूम | | | | |
| रेफरेशमेंट रूम | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------------------------|---|-----|-----|--|
| भंडार तथा अभिलेख रूम | | | | |
| सूक्ष्मजीव-विज्ञान | | | | बैक्टेरियोलॉजी, सेरोलॉजी, विरोलॉजी, पेरासिटोलॉजी, माइकोलॉजी, ट्यूबरकुलोसिस और इम्यूनोलॉजी प्रत्येक के लिए |
| सेवा प्रयोगशाला | 7 | 25 | 175 | |
| म्यूजियम | 1 | 40 | 40 | |
| स्टाफ के लिए स्थान | | | | |
| प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष | 1 | 18 | 18 | |
| एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर | 1 | 15 | 15 | |
| सहायक प्रोफेसर/ब्याख्याता | 1 | 12 | 12 | |
| ट्यूटर/प्रदर्शक | 2 | 15 | 30 | |
| विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूम | 1 | 12 | 12 | |
| गैर-शिक्षण स्टाफ रूम | 1 | 12 | 12 | |
| विभाग का जोड़ | | | 314 | |
| औषध-विज्ञान | | | | |
| प्रदर्शन रूम | 1 | 30 | 30 | कम से कम 25-30 छात्रों के लिए स्थान । |
| म्यूजियम | | 75 | 75 | |
| स्टाफ के लिए स्थान | | | | |
| प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष | 1 | 18 | 18 | |
| एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर | 1 | 15 | 15 | |
| सहायक प्रोफेसर/ब्याख्याता | 1 | 12 | 12 | |
| ट्यूटर/प्रदर्शक | 2 | 15 | 30 | |
| विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूम | 1 | 12 | 12 | |
| गैर-शिक्षण स्टाफ रूम | 1 | 12 | 12 | |
| विभाग का जोड़ | | | 204 | |
| विष-विज्ञान सहित फोरेंसिक चिकित्सा | | | | |
| प्रदर्शन कक्ष | 1 | 30 | 30 | कम से कम 25-30 छात्रों के लिए स्थान । |
| ऑटोप्सी ब्लॉक | | 400 | 400 | |
| म्यूजियम | | 100 | 100 | |
| स्टाफ के लिए स्थान | | | | |
| प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष | 1 | 18 | 18 | |
| एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर | 1 | 15 | 15 | |
| सहायक प्रोफेसर/ब्याख्याता | 1 | 12 | 12 | |
| ट्यूटर/प्रदर्शक | 1 | 15 | 15 | |
| विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूम | 1 | 12 | 12 | |
| गैर-शिक्षण स्टाफ रूम | 1 | 12 | 12 | |
| विभाग का जोड़ | | | 614 | |
| कम्प्यूनिटी मेडिसिन | | | | |
| म्यूजियम | | 100 | 100 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--------------|-----|-------------|------------------------------------|
| प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र | | | | |
| शहरी स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र | | | | |
| स्टाफ के लिए स्थान | | | | |
| प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष | 1 | 18 | 18 | |
| एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर | 1 | 15 | 15 | |
| सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता | 1 | 15 | 15 | |
| सांख्यिकीविद एवं व्याख्याता | 1 | 12 | 12 | |
| एपिडेमियोलॉजिस्ट एवं व्याख्याता | 1 | 12 | 12 | |
| ट्यूटर/प्रदर्शक | 2 | 15 | 30 | |
| विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूम | 1 | 12 | 12 | |
| गैर-शिक्षण स्टाफ रूम | 1 | 15 | 15 | |
| विभाग का जोड़ | | | 229 | |
| कॉलेज जोड़ | | | 6539 | |
| अध्यापन अस्पताल | | | | |
| डीन का रूम | | 36 | 36 | |
| चिकित्सा अधीक्षक रूम | | 36 | 36 | |
| सहायक कर्मचारियों के लिए अस्पताल कार्यालय | | 150 | 150 | |
| आगतुकों के लिए प्रतीक्षालय | | 200 | 200 | |
| पूछताछ कार्यालय | | 50 | 50 | |
| स्वागत रूम | | 200 | 200 | |
| स्टोर रूम | | 300 | 300 | |
| केंद्रीय चिकित्सा अभिलेख अनुभाग | | 150 | 150 | |
| लाइनेन रूम | | 300 | 300 | |
| अस्पताल और स्टाफ समिति रूम | | 50 | 50 | |
| टाइपिंग गैलरी का केंद्रीय व्याख्यान थियेटर | | 330 | 330 | 100 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता। |
| केंद्रीय पंजीकरण और सांख्यिकी विभाग | | 200 | 200 | |
| केंद्रीय प्रयोगशालाएं | | 150 | 150 | |
| केंद्रीय आपातकालीन विभाग (सघु ओ.टी. सहित) | | 150 | 150 | |
| केंद्रीय अस्पताल फार्मैसी | | 100 | 100 | |
| केंद्रीय रसोई | | 150 | 150 | |
| इनसिनेरेटिंग प्लांट | | 40 | 40 | |
| संयुक्त सुविधाएं | | | 2592 | |
| अस्पताल में नैदानिक विभाग (50 वार्षिक दाखिलों के लिए अपेक्षित बिस्तरों की संख्या 400 है) : | | | | |
| | बिस्तर/यूनिट | | | |
| जनरल मेडिसिन | 96/3 | | | |
| बाल-विज्ञान | 48/2 | | | |
| टी.बी. तथा श्वसन रोग | 16/1 | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|--|-----|------------|-------------|-------------|
| डीवीएल | | 8/1 | | |
| मनोरोग-विज्ञान | | 8/1 | | |
| जनरल सर्जरी | | 96/3 | | |
| विकलांग-विज्ञान | | 48/2 | | |
| नेत्रविज्ञान | | 16/1 | | |
| ईएनटी | | 16/1 | | |
| प्रसूति-विज्ञान | 30 | | | |
| स्त्रीरोग-विज्ञान | 14 | | | |
| पोस्टपार्टम | 4 | 48/2 | | |
| विभाग का जोड़ | | 400 | 2800 | 2800 |
| नैदानिक विभाग--अंतरंग | | | | |
| नई इयूटी रूम के लिए स्थान | | 20 | | 20 |
| नैत्य परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला | | 15 | | 15 |
| परीक्षण और उपचार रूम | | 15 | | 15 |
| वार्ड पेंट्री | | 15 | | 15 |
| लाइनेन और अन्य उपस्करों के लिए भंडार रूम | | 15 | | 15 |
| स्थानीय डॉक्टरों और छात्रों का इयूटी रूम | | 20 | | 20 |
| प्रत्येक विभागाध्यक्ष का कार्यालय | | 20 | | 20 |
| अन्य यूनिट स्टाफ प्रमुख का रूम | | 20 | | 20 |
| नैदानिक प्रदर्शन रूम (प्रत्येक विभाग के लिए कम से कम एक) | | 20 | | 20 |
| 14 वार्डों/12 विभागों के लिए जोड़ | | | | 2240 |
| ऑपरेशन थियेटर यूनिट | | | | |
| रोगियों के लिए प्रतीक्षा रूम | | 15 | | 15 |
| तैयारी रूम | | 15 | | 15 |
| ऑपरेशन थियेटर | | 75 | | 75 |
| पोस्ट-ऑपरेटिव रिकवरी रूम | | 30 | | 30 |
| सॉयलड लाइनेन रूम | | 15 | | 15 |
| उपकरण रूम | | 15 | | 15 |
| निष्कीटन रूम | | 15 | | 15 |
| नर्सों का रूम | | 20 | | 20 |
| सर्जन एनेस्थेतिस्ट का रूम | 2 | 20 | | 40 |
| सहायक का कमरा | | 20 | | 20 |
| छात्रों के लिए पर्यवेक्षण दीर्घा | | 60 | | 60 |
| भंडार रूम | | 15 | | 15 |
| वाशिंग रूम | | 10 | | 10 |
| मरहम-पट्टी रूम | | 10 | | 10 |
| केंद्रीय निष्कीटन इकाई | | 10 | | 10 |
| लौंडरी | | 10 | | 10 |
| 9 ओ.टी. के लिए जोड़ | | 9 | | 3375 |

7 वर्ग मीटर प्रति बिस्तर (2 बिस्तरों के बीच की दूरी 1.5 मीटर, बिस्तरे की चौड़ाई 1 मीटर)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|--|-----|-------------|--------------|-----------------------|
| मेटलिंग उपचार के लिए रूम | | 50 | 50 | |
| अभिलेख रूम | | 100 | 100 | |
| चिकित्सा भौतिक प्रयोगशाला | | 50 | 50 | |
| बहिरंग-रोगी प्रतीक्षा रूम | | 200 | 200 | |
| अंतरंग विस्तरे | | 200 | 200 | |
| लघु कीमोथेरेपी/रेडियोथेरेपी लिए दिवा देखभाल वार्ड | | 70 | 70 | |
| विभाग का जोड़ | | | 920 | |
| फिजिकल मेडिसिन और पुनर्वास | | 1500 | 1500 | |
| नैदानिक विभाग-बहिरंग | | 6000 | 6000 | |
| रोगियों और परिचरों के लिए प्रतीक्षा स्थान/स्वागत रूम | | | | |
| पूछताछ और अभिलेख रूम | | | | |
| प्रत्येक के लिए परीक्षण रूम और मामले से संबंधित प्रदर्शन कक्ष | 4 | | | प्रत्येक विभाग के लिए |
| औषधालय | | | | |
| शल्यचिकित्सा और इसकी विशेषज्ञताओं के लिए मरहम-पट्टी रूम | | | | |
| नेत्र विभाग में रिफ्रेक्शन रूम, डार्क रूम, ड्रेसिंग रूम, नेत्र विभाग में प्लास्टर रूम, प्लास्टर कटिंग रूम | | | | |
| ईएनटी विभाग में साउंड प्रूफ ऑडियोमीटरी रूम, ईएनजी प्रयोगशाला, वाणी चिकित्सा कक्ष | | | | |
| बालचिकित्सा विभाग में बाल कल्याण, इम्युनाइजेशन रूम आदि | | | | |
| ओजीवी विभाग में प्रसूति-पूर्व, परिवार कल्याण, स्टरलिटी, कैंसर अभिज्ञान नैदानिक | | | | |
| दंत-चिकित्सा अनुभाग | | | | |
| ओपीडी जोड़ | | | 6000 | |
| अस्तपाल जोड़ | | | 18673 | |
| आवासीय क्वार्टर/छात्रावास | | | | |
| शिक्षण के 20% की दर से क्वार्टर (88 का 20% = 17) | | 200 | 3400 | |
| गैर-शिक्षण स्टाफ के 20% की दर से क्वार्टर (200 का 20% = 40) | | 100 | 4000 | |
| नर्सों का संख्या के 20% की दर से क्वार्टर (150 का 20% = 30) | | 100 | 3000 | |
| रेजिडेंट की संख्या के 100% की दर से = 74 | | 30 | 2220 | |
| इंटर्न्स की संख्या के 100% की दर से | | 1000 | 1000 | |
| 187 छात्रों के लिए छात्रावास (अर्थात् 250 का 75% = 250) | | | 1870 | |
| आवासीय परिसर का जोड़ | | | 15490 | |
| कुल जोड़ | | | 40702 | |
| 15% जोड़ें | | | 6105 | |
| सकल जोड़ | | | 46807 | |

**MEDICAL COUNCIL OF INDIA
NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th February, 2010

No. MCI. 34 (41)/2009-Med./76567.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the "Minimum Requirements for 50 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999" namely :—

1. (i) These regulations may be called the "Minimum Requirements for 50 MBBS Admissions Annually Regulations (Amendment), 2010".

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Minimum Requirements for 50 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999, the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be as indicated therein.

3. In Schedule (I), Clause A.1.1 of the "Minimum Requirements for 50 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999", as amended by "Minimum Requirements for 50 MBBS Admissions Annually Regulations (Amendment), 2009" vide Notification dated 08-07-2009, 13-11-2009 & 30-01-2010 under the heading 'CAMPUS', be further amended by inserting the following proviso in Clause A.1.1 in Schedule I :—

"Provided that the built-up area required for the total infrastructure of a medical institute— i.e. college, affiliated teaching hospital and residential complex with regard to amendments in "Minimum Requirements for the Medical College for 50 Admissions Annually Regulations, 1999" as amended in 2008/2009 as shown in separate table appended herewith is made available by the institute in mega cities (Mumbai, Kolkata, New Delhi and Chennai) and 'A' class cities (Ahmedabad, Hyderabad, Pune, Bangalore and Kanpur) based upon permissible FAR/FSI allowed by the competent authority in a plot of an area of not less than 10 acres."

Lt. Col. (Retd.) Dr. A. R. N. SETALVAD, Secy.

[ADVT-III/4/Exty./100/09]

Foot Note : The Principal Regulations namely, "Minimum Requirements for 50 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999" were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 29th April, 1999, vide Medical Council of India Notification No. 35(1)/1998-Med.(ii) dated the 30th March, 1999 and amended vide corrigendum dated 24th June, 1999 and further amended vide Notification dated 20th October, 2008, 8th July, 2009, 13th November, 2009, 18th January, 2010 & 30th January, 2010.

APPENDIX

BUILT UP AREA REQUIREMENTS (50 ADMISSIONS)

| ITEM DETAIL | NO. | AREA (Sq.m.) (each) | Total (Sq.m) | REMARKS |
|-------------------------------|-----|------------------------|--------------|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Administrative Block | | | | |
| Principal/Dean's Office | | 36 | 36 | |
| Staff Room | | 54 | 54 | |
| College Council Room | | 80 | 80 | |
| Officer Superintendent's Room | | 10 | 10 | |
| Office | | 150 | 150 | |
| Record Room | | 100 | 100 | |
| Common Room - Boys | | 50 | 50 | |
| Girls | | 50 | 50 | |
| Cafeteria | | 100 | 100 | |
| Central Library | | 1000 | 1000 | |
| Lecture Theatres | 3 | 220 | 660 | 80 seating capacity |
| | 1 | 400 | 400 | 150 seating capacity |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|-----|-----|-------------|---|
| Auditorium | 1 | 500 | 500 | 250-350 seating capacity. |
| Common Laboratories | 6 | 120 | 720 | |
| | 2 | 75 | 150 | |
| Central Research Laboratory | 1 | 100 | 100 | |
| Department Total | | | 4160 | |
| DEPARTMENTS | | | | |
| Anatomy | | | | |
| Demonstration Room | 2 | 30 | 60 | Accommodate atleast 25-30 students. |
| Dissection Hall | 1 | 175 | 175 | Accommodate atleast 50 students. |
| Museum | | 100 | 100 | Accommodate 15 students to study in the museum. |
| Accommodation for Staff | | | | |
| Professor & Head | 1 | 18 | 18 | |
| Asso. Prof./Reader | 1 | 15 | 15 | |
| Asst. Prof./Lecturer | 1 | 20 | 20 | |
| Tutor/Demonstrators | 2 | 15 | 30 | |
| Department Office/Clerical Room | 1 | 12 | 12 | |
| Non-teaching Staff Room | 1 | 12 | 12 | |
| Department Total | | | 442 | |
| Physiology including Bio-physics | | | | |
| Demonstration Room | 1 | 30 | 30 | Accommodate atleast 25-30 students. |
| Accommodation for Staff | | | | |
| Professor & Head | 1 | 18 | 18 | |
| Asso. Prof./Reader | 1 | 15 | 15 | |
| Asst. Prof./Lecturer | 1 | 15 | 15 | |
| Tutor/Demonstrators | 2 | 15 | 30 | |
| Department Office/Clerical Room | 1 | 12 | 12 | |
| Non-teaching Staff Room | 1 | 12 | 12 | |
| Department Total | | | 132 | |
| Biochemistry | | | | |
| Demonstration Room | 1 | 30 | 30 | Accommodate atleast 25-30 students. |
| Accommodation for Staff | | | | |
| Professor & Head | 1 | 18 | 18 | |
| Asso. Prof./Reader | 1 | 15 | 15 | |
| Asst. Prof./Lecturer | 1 | 12 | 12 | |
| Tutor/Demonstrators | 2 | 15 | 30 | |
| Department Office/Clerical Room | 1 | 12 | 12 | |
| Non-teaching staff room | 1 | 12 | 12 | |
| Department Total | | | 129 | |
| Pathology | | | | |
| Demonstration Room | 1 | 25 | 25 | Accommodate atleast 25-30 students. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|--|-----|------------|------------|---|
| Museum | 1 | 60 | 60 | |
| Accommodation for Staff | | | | |
| Profesor & Head | 1 | 18 | 18 | |
| Asso. Prof./Reader | 1 | 15 | 15 | |
| Asst. Prof./Lecturer | 2 | 14 | 28 | |
| Tutor/Demonstrators | 3 | 15 | 45 | |
| Department Office/ Clerical Room | 1 | 12 | 12 | |
| Non-teaching Staff Room | 1 | 12 | 12 | |
| Department Total | | | 215 | |
| Blood Bank (includes) | | 100 | 100 | |
| (a) Registration & Medical Examination Room | | | | |
| (b) Blood Collection Room | | | | |
| (c) Room for Laboratory for Blood Group Serology | | | | |
| (d) Room for Lab. for Transmissible diseases like Hepatitis, Syphilis, Malaria, HIV antibodies, etc. | | | | |
| (e) Sterilisation and Washing Room | | | | |
| (f) Refreshment Room | | | | |
| (g) Store and Records Room | | | | |
| Microbiology | | | | |
| Service Laboratory | 7 | 25 | 175 | Each for Bacteriology, serology, virology, parasitology, mycology, tuberculosis and immunology. |
| Museum | 1 | 40 | 40 | |
| Accommodation for Staff | | | | |
| Profesor & Head | 1 | 18 | 18 | |
| Asso. Prof./Reader | 1 | 15 | 15 | |
| Asst. Prof./Lecturer | 1 | 12 | 12 | |
| Tutor/Demonstrators | 2 | 15 | 30 | |
| Department Office/ Clerical Room | 1 | 12 | 12 | |
| Non-teaching Staff Room | 1 | 12 | 12 | |
| Department Total | | | 314 | |
| Pharmacology | | | | |
| Demonstration Room | 1 | 30 | 30 | Accommodate atleast 25-30 students. |
| Museum | | 75 | 75 | |
| Accommodation for Staff | | | | |
| Profesor & Head | 1 | 18 | 18 | |
| Asso. Prof./Reader | 1 | 15 | 15 | |
| Asst. Prof./Lecturer | 1 | 12 | 12 | |
| Tutor/Demonstrators | 2 | 15 | 30 | |
| Department Office/ Clerical Room | 1 | 12 | 12 | |
| Non-teaching Staff Room | 1 | 12 | 12 | |
| Department Total | | | 204 | |
| Forensic Med. including Toxicology | | | | |
| Demonstration Room | 1 | 30 | 30 | Accommodate atleast 25-30 students. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|--|-----|-----|-------------|----------------------------------|
| Autopsy Block | | 400 | 400 | |
| Museum | | 100 | 100 | |
| Accommodation for Staff | | | | |
| Profesor & Head | 1 | 18 | 18 | |
| Asso. Prof./Reader | 1 | 15 | 15 | |
| Asst. Prof./Lecturer | 1 | 12 | 12 | |
| Tutor/Demonstrators | 1 | 15 | 15 | |
| Department Office/Clerical Room | 1 | 12 | 12 | |
| Non-teaching Staff Room | 1 | 12 | 12 | |
| Department Total | | | 614 | |
| Community Medicine | | | | |
| Museum | | 100 | 100 | |
| Primary Health Centre/Rural Health Training Centre | | | | |
| Urban Health Training Centre | | | | |
| Accommodation for Staff | | | | |
| Profesor & Head | 1 | 18 | 18 | |
| Asso. Prof./Reader | 1 | 15 | 15 | |
| Asst. Prof./Lecturer | 1 | 15 | 15 | |
| Statistician-cum-Lecturer | 1 | 12 | 12 | |
| Epidemiologist-cum-Lecturer | 1 | 12 | 12 | |
| Tutor/Demonstrators | 2 | 15 | 30 | |
| Department Office/ Clerical Room | 1 | 12 | 12 | |
| Non-teaching Staff Room | 1 | 15 | 15 | |
| Department Total | | | 229 | |
| COLLEGE TOTAL | | | 6539 | |
| Teaching Hospital | | | | |
| Dean's Room | | 36 | 36 | |
| Medical Superintendent's Room | | 36 | 36 | |
| Hospital offices for the supportive staff | | 150 | 150 | |
| Waiting space for visitors | | 200 | 200 | |
| Enquiry Office | | 50 | 50 | |
| Reception | | 200 | 200 | |
| Store Rooms | | 300 | 300 | |
| Central Medical Record Section | | 150 | 150 | |
| Linen Rooms | | 300 | 300 | |
| Hospital & Staff Committee Room | | 50 | 50 | |
| Central Lecture theatre of gallery type | 1 | 330 | 330 | |
| Central Registration and Statistice Department | | 200 | 200 | |
| Central Laboratories | | 150 | 150 | |
| Central Casualty Department (Incl. Minor O.T.) | | 150 | 150 | |
| Central Hospital Pharmacy | | 100 | 100 | |
| | | | | Seating capacity of 100 persons. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|--|------------|-------------|-------------|---|
| Central Kitchen | | 150 | 150 | |
| Incinerating Plant | | 40 | 40 | |
| Common Facilities | | | 2592 | |
| Clinical Departments in the Hospital (No. of beds required for 50 admission annual is 400) :— | | | | |
| | | beds/units | | |
| General Medicine | | 96/3 | | |
| Paediatrics | | 48/2 | | |
| TB & Respiratory Diseases | | 16/1 | | |
| DVL | | 8/1 | | |
| Psychiatry | | 8/1 | | |
| General Surgery | | 96/3 | | |
| Orthopedics | | 48/2 | | |
| Ophthalmology | | 16/1 | | |
| ENT | | 16/1 | | |
| Obstetrics | 30 | | | |
| Gynaecology | 14 | | | |
| Post Partum | 4 | 48/2 | | |
| | | | | 7 Sq.m. per bed (1.5m distance b/w 2 beds; Bed width-1m') |
| Department Total | 400 | 2800 | 2800 | |
| Clinical Departments - Indoor | | | | |
| Accommodation for Nurses Duty room | | 20 | 20 | |
| Laboratory for routine examinations | | 15 | 15 | |
| Examination and treatment room | | 15 | 15 | |
| Ward Pantry | | 15 | 15 | |
| Store room for linen and other equipments | | 15 | 15 | |
| Resident Doctors & Students duty room | | 20 | 20 | |
| Office for Heads of each department & Heads of units | | 20 | 20 | |
| Room for other unit staff | | 20 | 20 | |
| Clinical Demonstration rooms (atleast one for each department) | | 20 | 20 | |
| Total for 14 Wards /12 Departments | | | 2240 | |
| Operation Theatre Unit | | | | |
| Waiting room for patients | | 15 | 15 | |
| Preparation room | | 15 | 15 | |
| Operation Theatre | | 75 | 75 | |
| Post-operative recovery room | | 30 | 30 | |
| Soiled Linen room | | 15 | 15 | |
| Instrument room | | 15 | 15 | |
| Sterilisation room | | 15 | 15 | |
| Nurses room | | 20 | 20 | |
| Surgeion's and Anaesthetist's room- Assistant's room | 2 | 20 | 40 | |
| | | 20 | 20 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|--|----------|-----|-------------|-----|
| Observation Gallery for students | | 60 | 60 | |
| Store rooms | | 15 | 15 | |
| Washing room | | 10 | 10 | |
| Dressing up room | | 10 | 10 | |
| Central Sterilisation Unit | | 10 | 10 | |
| Laundry | | 10 | 10 | |
| Total for 9 O.T. s | 9 | | 3375 | |
| Labour Room | | | | |
| Waiting room for patients | | 15 | 15 | |
| Preparation room | | 15 | 15 | |
| Labour room | | 100 | 100 | |
| Post Partum Recovery Room | | 75 | 75 | |
| Soiled Linen room | | 15 | 15 | |
| Instrument room | | 15 | 15 | |
| Sterilisation room | | 15 | 15 | |
| Nurses room | | 20 | 20 | |
| Surgeion's and Anaesthetist's room | | 20 | 20 | |
| Assistant's room | | 20 | 20 | |
| Observation gallery for students | | 30 | 30 | |
| Store rooms | | 15 | 15 | |
| Washing room | | 10 | 10 | |
| Dressing up room | | 10 | 10 | |
| Eclampsia Room | | 75 | 75 | |
| Laundry | | 10 | 10 | |
| Total for Labour Room | | | 460 | |
| Radio-diagnosis | | | | |
| Room for 300mA, 500mA, 800mA | | | | |
| IITV System, Fluroscopy System | | 36 | 36 | |
| Ultrasound room | | 15 | 15 | |
| Room for 60mA Mobile X-Ray System | | 15 | 15 | |
| Accommodation for CT Scan System | | 80 | 80 | |
| Store room | | 15 | 15 | |
| Museum | | 25 | 25 | |
| Waiting room | | 40 | 40 | |
| Department Total | | | 226 | |
| Anaesthesiology | | | | |
| Accommodation for the Anaesthesia Deptt. in Operation theatres | | | | |
| Office for HOD & Heads of Units | | 20 | 20 | |
| Accommodation for other unit staff | | 20 | 20 | |
| Clinical demonstration rooms | | 20 | 20 | |
| Department Total | | | 60 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|--|-----|-------------|--------------|---------------------|
| Optional Departments | | | | |
| Radiotherapy | | | | |
| Telettherapy Unit | | 100 | 100 | |
| Intracavitary Treatment room | | 50 | 50 | |
| Endocavitary surface mould therapy room | | 50 | 50 | |
| Planning room | | 50 | 50 | |
| Room for metalling treatment | | 50 | 50 | |
| Record room | | 100 | 100 | |
| Medical physics lab. | | 50 | 50 | |
| Out patient waiting room | | 200 | 200 | |
| Indoor beds | | 200 | 200 | |
| Day care ward for short chemotherapy/radiotherapy | | 70 | 70 | |
| Department Total | | | 920 | |
| Physical Medicine & Rehabilitation | | 1500 | 1500 | |
| Clinical Departments - out door | | 6000 | 6000 | |
| Waiting/reception space rooms for patients and attendants | | | | |
| Enquiry and record room | | | | |
| Examination rooms & case demonstration rooms for each | 4 | | | For each department |
| Dispensary | | | | |
| Dressing room in surgery & its specialities | | | | |
| Refraction rooms, dark rooms, dressing rooms in Ophthalmic Deptt. | | | | |
| Plaster room, plaster cutting room etc. in Orthopedics Deptt. | | | | |
| Sound proof audiometry room, ENG Lab., speech therapy rooms in ENT Deptt. | | | | |
| Child welfare, immunization room etc. in paediatrics Deptt. | | | | |
| Antenatal, family welfare, sterility, cancer detection clinics in OBG Deptt. | | | | |
| Dental Section | | | | |
| OPD TOTAL | | | 6000 | |
| HOSPITAL TOTAL | | | 18673 | |
| Residential Quarters/Hostels | | | | |
| Qtrs. @ 20% teaching (20% of 88 = 17) | | 200 | 3400 | |
| Qtrs. @ 20% Non-teaching (20% of 200 = 40) | | 100 | 4000 | |
| Nurses @ 20% (20% of 150 = 30) | | 100 | 3000 | |
| Residents @ 100% = 74 | | 30 | 2220 | |
| Interns @ 100% | | 1000 | 1000 | |
| Hostels for 187 students (i.e. @75% of 250) | | | 1870 | |
| TOTAL RESIDENTIAL COMPLEX | | | 15490 | |
| TOTAL | | | 40702 | |
| ADD 15% | | | 6105 | |
| GRAND TOTAL | | | 46807 | |

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2010

सं. भा.आ.प. 34(41)/2009-मेडि./76567.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः :—

1. (i) इन विनियमों को "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली (संशोधन), 2010" कहा जाए।
- (ii) वे भारत के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :—
3. दिनांक 13-11-2009 और 30-1-2010 की अधिसूचना के अंतर्गत "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली (संशोधन) 2009" द्वारा यथासंशोधित "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" की अनुसूची (1) में 'परिसर' शीर्षक के अंतर्गत खंड क.1.1 में, अनुसूची 1, खंड क.1.1 में निम्नलिखित परंतुक जोड़कर पुनः संशोधित किया जाए :

"बशर्त कि 2008/2009 में यथासंशोधित "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 2009" में किए गए संशोधनों के संबंध में, इसके साथ संलग्न अलग सारणी में दर्शाए गए अनुसार, महानगरों (मुम्बई, कोलकाता, नई दिल्ली और चेन्नई) तथा 'ए' श्रेणी के शहरों (अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, बंगलौर और कानपुर) में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुमेय एफएआर/एफएसआई के आधार पर, किसी आयुर्विज्ञान संस्थान अर्थात् कॉलेज, संबद्ध अध्यापन अस्पताल और आवासीय परिसर की पूरी अवसंरचना के लिए आवश्यक निर्मित क्षेत्र कम से कम 10 एकड़ के भूखंड में उपलब्ध कराया जाए।"

से. क. (से.नि.) डॉ. ए.आर.एन. सीतलवाड, सचिव

[विज्ञापन III/4/असाधा./100/09]

पाद टिप्पणी :—प्रधान विनियमावली नामतः "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 30 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 35(1)/1998-मेडि. (ii) के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल, 1999 को भारत के राजपत्र के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित किया गया था और इसे दिनांक 24 जून, 1999 के शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित और दिनांक 20 अक्टूबर, 2008, 1 दिसम्बर, 2008, 13 नवम्बर, 2009, 18 जनवरी, 2010 और 30 जनवरी, 2010 की अधिसूचना के अंतर्गत पुनः संशोधित किया गया था।

परिशिष्ट

निर्मित क्षेत्र की आवश्यकताएं (100 दाखिले)

| मद विवरण | संख्या | क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) (प्रत्येक) | जोड़ (वर्ग मीटर) | अभ्युक्तियां |
|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| प्रशासनिक ब्लॉक | | | | |
| प्रधानाचार्य/डीन का कार्यालय | | 36 | 36 | |
| स्टाफ रूम | | 54 | 54 | |
| कॉलेज परिषद् रूम | | 80 | 80 | |
| कार्यालय अधीक्षक रूम | | 10 | 10 | |
| कार्यालय | | 150 | 150 | |
| अभिलेख रूम | | 100 | 100 | |
| परीक्षण हॉल | | 300 | 300 | |
| कॉमन रूम - छात्र | | 100 | 100 | |
| - छात्राएं | | 100 | 100 | |
| कैंफेटेरिया | | 200 | 200 | |
| केंद्रीय पुस्तकालय | | 1600 | 1600 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|---|-----|-------------|---|
| व्याख्यान थियेटर | 3 | 330 | 990 | 120 के बैठने की क्षमता । |
| | 1 | 660 | 660 | 250 के बैठने की क्षमता । |
| ऑडिटोरियम | 1 | 800 | 800 | 500-700 के बैठने की क्षमता । |
| कॉमन प्रयोगशालाएं | 6 | 170 | 1020 | |
| | 2 | 75 | 150 | |
| केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला | 1 | 100 | 100 | |
| विभाग का जोड़ | | | 6450 | |
| विभाग | | | | |
| शरीर-रचना विज्ञान | | | | |
| प्रदर्शन रूम | 2 | 45 | 90 | कम से कम 50-60 छात्रों के लिए स्थान । |
| विच्छेदन हाल | 1 | 250 | 250 | कम से कम 100 छात्रों के लिए स्थान । |
| म्यूजियम | | 150 | 150 | म्यूजियम में पढ़ने के लिए 25 छात्रों के लिए स्थान । |
| स्टाफ के लिए स्थान | | | | |
| प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष | 1 | 18 | 18 | |
| एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर | 1 | 15 | 15 | |
| सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता | 2 | 20 | 40 | |
| ट्यूटर/प्रदर्शक | 4 | 15 | 60 | |
| विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूम | 1 | 12 | 12 | |
| गैर-शिक्षण स्टाफ रूम | 1 | 12 | 12 | |
| विभाग का जोड़ | | | 647 | |
| जीव-भौतिकी सहित शरीर क्रिया-विज्ञान | | | | |
| प्रदर्शन रूम | 1 | 45 | 45 | कम से कम 50-60 छात्रों के लिए स्थान। |
| स्टाफ के लिए स्थान | | | | |
| प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष | 1 | 18 | 18 | |
| एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर | 1 | 15 | 15 | |
| सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता | 2 | 20 | 40 | |
| ट्यूटर/प्रदर्शक | 4 | 15 | 15 | |
| विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूम | 1 | 12 | 12 | |
| गैर-शिक्षण स्टाफ रूम | 1 | 12 | 12 | |
| विभाग का जोड़ | | | 157 | |
| जीव-रसायन | | | | |
| प्रदर्शन रूम | 1 | 45 | 45 | कम से कम 50-60 छात्रों के लिए स्थान। |
| स्टाफ के लिए स्थान | | | | |
| प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष | 1 | 18 | 18 | |
| एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर | 1 | 15 | 15 | |
| सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता | 1 | 12 | 12 | |
| ट्यूटर/प्रदर्शक | 4 | 15 | 60 | |
| विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूम | 1 | 12 | 12 | |
| गैर-शिक्षण स्टाफ रूम | 1 | 12 | 12 | |
| विभाग का जोड़ | | | 174 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|-----|------------|---|
| रोग-विज्ञान | | | | |
| प्रदर्शन रूम | 1 | 45 | 45 | कम से कम 50-60 छात्रों के लिए स्थान। |
| म्यूजियम | 1 | 150 | 150 | |
| स्टाफ के लिए स्थान | | | | |
| प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष | 1 | 18 | 18 | |
| एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर | 2 | 15 | 30 | |
| सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता | 3 | 12 | 36 | |
| ट्यूटर/प्रदर्शक | 5 | 15 | 75 | |
| विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूम | 1 | 12 | 12 | |
| गैर-शिक्षण स्टाफ रूम | 1 | 12 | 12 | |
| विभाग का जोड़ | | | 378 | |
| रक्त बैंक (निम्नलिखित सहित) | | | | |
| (क) पंजीकरण और चिकित्सा परीक्षण रूम | | 100 | 100 | |
| (ख) रक्त संग्रहण रूम | | | | |
| (ग) रक्त समूह सॉर्म-विज्ञान की प्रयोगशाला हेतु रूम | | | | |
| (घ) संचारी रोगों जैसे हेपाटाइटिस, सिफलिस, मलेरिया, एचआईवी, शरीर-रोधी आदि की प्रयोगशाला हेतु रूम | | | | |
| (ङ) निष्कीटन और वाशिंग रूम | | | | |
| (च) रेफरेशमेंट रूम | | | | |
| (छ) भंडार तथा अभिलेख रूम | | | | |
| सूक्ष्मजीव-विज्ञान | | | | |
| सेवा प्रयोगशाला | 7 | 25 | 175 | बैक्टेरियोलॉजी, सेरोलॉजी, विरोलॉजी, पेरिसिटोलॉजी, माइकोलॉजी, ट्यूबरकुलोसिस और इम्यूनोलॉजी प्रत्येक के लिए । |
| म्यूजियम | | 100 | 100 | |
| स्टाफ के लिए स्थान | | | | |
| प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष | 1 | 18 | 18 | |
| एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर | 1 | 15 | 15 | |
| सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता | 2 | 12 | 24 | |
| ट्यूटर/प्रदर्शक | 3 | 15 | 45 | |
| विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूम | 1 | 12 | 12 | |
| गैर-शिक्षण स्टाफ रूम | 1 | 12 | 12 | |
| विभाग का जोड़ | | | 401 | |
| औषध-विज्ञान | | | | |
| प्रदर्शन रूम | 1 | 45 | 45 | कम से कम 50-60 छात्रों के लिए स्थान । |
| म्यूजियम | | 100 | 100 | |
| स्टाफ के लिए स्थान | | | | |
| प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष | 1 | 18 | 18 | |
| एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर | 1 | 15 | 15 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|-----|------------|---------------------------------------|
| सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता | 2 | 12 | 24 | |
| ट्यूटर/प्रदर्शक | 2 | 15 | 30 | |
| विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूम | 1 | 12 | 12 | |
| गैर-शिक्षण स्टाफ रूम | 1 | 12 | 12 | |
| विभाग का जोड़ | | | 256 | |
| विष-विज्ञान सहित फोरेंसिक चिकित्सा | | | | |
| प्रदर्शन रूम | 1 | 45 | 45 | कम से कम 50-60 छात्रों के लिए स्थान । |
| ऑटोप्सी ब्लॉक | | 400 | 400 | |
| म्यूजियम | | 100 | 100 | |
| स्टाफ के लिए स्थान | | | | |
| प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष | 1 | 18 | 18 | |
| एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर | 1 | 15 | 15 | |
| सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता | 1 | 12 | 12 | |
| ट्यूटर/प्रदर्शक | 2 | 15 | 15 | |
| विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूम | 1 | 12 | 12 | |
| गैर-शिक्षण स्टाफ रूम | 1 | 12 | 12 | |
| विभाग का जोड़ | | | 629 | |
| कम्युनिटी मेडिसिन | | | | |
| म्यूजियम | | 150 | 150 | |
| प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र | | | | |
| शहरी स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र | | | | |
| स्टाफ के लिए स्थान | | | | |
| प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष | 1 | 18 | 18 | |
| एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर | 2 | 15 | 30 | |
| सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता | 2 | 15 | 30 | |
| सांख्यिकीविद एवं व्याख्याता | 1 | 12 | 12 | |
| एपिडेमियोलॉजिस्ट एवं व्याख्याता | 1 | 12 | 12 | |
| ट्यूटर/प्रदर्शक | 1 | 15 | 45 | |
| विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूम | 1 | 12 | 12 | |
| गैर-शिक्षण स्टाफ रूम | 1 | 15 | 15 | |
| विभाग का जोड़ | | | 294 | |
| कॉलेज जोड़ | | | | |
| अध्यापन अस्पताल | | | | |
| डीन का रूम | | 36 | 36 | |
| चिकित्सा अधीक्षक रूम | | 36 | 36 | |
| सहायक कर्मचारियों के लिए अस्पताल कार्यालय | | 150 | 150 | |
| आगतुकों के लिए प्रतीक्षालय | | 300 | 300 | |
| पूछताछ कार्यालय | | 50 | 50 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|---|-----|------|-----------------------------------|
| स्वागत रूम | | 300 | 300 | |
| स्टोर रूम | | 500 | 500 | |
| केंद्रीय चिकित्सा अभिलेख अनुभाग | | 200 | 200 | |
| लाइनेन रूम | | 500 | 500 | |
| अस्पताल और स्टाफ समिति रूम | | 60 | 60 | |
| टाइप-1 गैलरी का केंद्रीय व्याख्यान थिएटर | 1 | 330 | 330 | 150 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता |
| केंद्रीय पंजीकरण और सांख्यिकी विभाग | | 200 | 200 | |
| केंद्रीय प्रयोगशालाएं | | 150 | 150 | |
| केंद्रीय आपात्कालीन विभाग (लघु ओ. टी. सहित) | | 150 | 150 | |
| केंद्रीय अस्पताल फार्मसी | | 100 | 100 | |
| केंद्रीय रसोई | | 200 | 200 | |
| इनसिनेरेटिंग प्लांट | | 40 | 40 | |
| संयुक्त सुविधाएं | | | 3302 | |

अस्पताल में नैदानिक विभाग (100 वार्षिक दाखिलों के लिए अपेक्षित बिस्तारों की संख्या 500 है)
बिस्तार/यूनिट

| | | | | |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|--|
| जनरल मेडिसिन | 102/4 | | | |
| बाल-विज्ञान | 60/2 | | | |
| टी. बी. तथा श्वसन रोग | 20/1 | | | |
| डीबीएल | 10/1 | | | |
| मनोरोग-विज्ञान | 8/1 | | | |
| जनरल सर्जरी | 102/4 | | | |
| विकलांग-विज्ञान | 60/2 | | | |
| नेत्रविज्ञान | 20/1 | | | |
| ईएनटी | 20/1 | | | |
| प्रसूति-विज्ञान | 30 | | | |
| स्त्रीरोग-विज्ञान | 20 | | | |
| पोस्टपार्टम | 5 | 60/2 | | |
| विभाग का जोड़ | 500 | 3500 | 3500 | 7 वर्ग मीटर प्रति बिस्तर (2 बिस्तारों के बीच की दूरी 1.5 मीटर, बिस्तारों की चौड़ाई 1 मीटर) |

नैदानिक विभाग—अंतरंग

| | | |
|--|----|----|
| नर्स ड्यूटी रूम के लिए स्थान | 20 | 20 |
| नैत्य परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला | 15 | 15 |
| परीक्षण और उपचार रूम | 15 | 15 |
| वार्ड पेट्री | 15 | 15 |
| लाइनेन और अन्य उपस्करों के लिए भण्डार रूम | 15 | 15 |
| स्थानीय डॉक्टरों और छात्रों का ड्यूटी रूम | 20 | 20 |
| प्रत्येक विभागाध्यक्ष का कार्यालय | 20 | 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-----|-------------|---|
| अन्य यूनिट स्टाफ के लिए यूनिट प्रमुख का रूम | | 20 | 20 | |
| नैदानिक प्रदर्शन रूम (प्रत्येक विभाग के लिए कम से कम एक) | | 20 | 20 | |
| 18 वार्डों/12 विभागों के लिए जोड़ | | | 2880 | |
| ऑपरेशन थियेटर यूनिट | | | | |
| रोगियों के लिए प्रतीक्षा रूम | | 15 | 15 | |
| तैयारी रूम | | 15 | 15 | |
| ऑपरेशन थियेटर | | 75 | 75 | |
| पोस्ट-ऑपरेटिव रिकवरी रूम | | 30 | 30 | |
| सॉयलड लाइनेन रूम | | 15 | 15 | |
| उपकरण रूम | | 15 | 15 | |
| निष्कीटन रूम | | 15 | 15 | |
| नर्सों का रूम | | 20 | 20 | |
| सर्जन और एनेस्थेतिस्ट का रूम | 2 | 20 | 40 | |
| सहायक का कमरा | | 20 | 20 | |
| छात्रों के लिए पर्यवेक्षण दीर्घा | | 60 | 60 | |
| भण्डार रूम | | 15 | 15 | |
| वाशिंग रूम | | 10 | 10 | |
| मरहम-पट्टी रूम | | 10 | 10 | |
| केंद्रीय निष्कीटन इकाई | | 10 | 10 | |
| लौंडरी | | 10 | 10 | |
| 10 ओ.टी. के लिए जोड़ | 10 | | 3750 | |
| प्रसूति रूम | | | | |
| रोगियों के लिए प्रतीक्षा रूम | | 15 | 15 | |
| तैयारी रूम | | 15 | 15 | |
| प्रसूति रूम | | 100 | 100 | |
| पोस्ट-ऑपरेटिव रिकवरी रूम | | 75 | 30 | |
| सॉयलड लाइनेन रूम | | 15 | 15 | |
| उपकरण रूम | | 15 | 15 | |
| निष्कीटन रूम | | 15 | 15 | |
| नर्सों का रूम | | 20 | 20 | |
| सर्जन और एनेस्थेतिस्ट का रूम | | 20 | 40 | |
| सहायक रूम | | 20 | 20 | |
| छात्रों के लिए पर्यवेक्षण दीर्घा | | 30 | 30 | |
| भण्डार रूम | | 15 | 15 | |
| वाशिंग रूम | | 10 | 10 | |
| मरहम-पट्टी रूम | | 10 | 10 | |
| एक्लेम्पसिया रूम | | 75 | 75 | |
| लौंडरी | | 10 | 10 | |
| प्रसूति रूम के लिए जोड़ | | | 435 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|------|------------|-----------------------|
| विकीरण-निदान | | | | |
| 300 एमए, 500 एमए, 800 एमए, आईआईटीवी प्रणाली, फ्लूरोस्कॉपी प्रणाली के लिए रूम अल्ट्रासाउंड रूम | | 36 | 36 | |
| 60 एमए सचल एक्स-रे प्रणाली के लिए रूम | | 15 | 15 | |
| सीटी स्कैन प्रणाली के लिए स्थान | | 15 | 15 | |
| भंडार रूम | | 20 | 20 | |
| म्यूजियम | | 25 | 25 | |
| प्रतीक्षा रूम | | 25 | 25 | |
| | | 40 | 40 | |
| विभाग का जोड़ | | | 176 | |
| संचेतनाहरण-विज्ञान | | | | |
| ऑपरेशन थिएटरों में संचेतनाहरण विभाग के लिए स्थान | | | | |
| विभागाध्यक्ष और यूनितों के अध्यक्ष | | 20 | 20 | |
| अन्य यूनित कर्मचारियों के लिए स्थान | | 20 | 20 | |
| नैदानिक प्रदर्शन रूम | | 20 | 20 | |
| विभाग का जोड़ | | | 60 | |
| वैकल्पिक विभाग | | | | |
| विकीरण-चिकित्सा | | 100 | 100 | |
| टेलीथेरेपी यूनित | | 50 | 50 | |
| इंटरकेक्टरी ट्रीटमेंट रूम | | 50 | 50 | |
| एंडोकेक्टरी सरफेस मॉल्ड थेरेपी रूम | | 50 | 50 | |
| आयोजना रूम | | 50 | 50 | |
| मेटलिंग उपचार के लिए रूम | | 50 | 50 | |
| अभिलेख रूम | | 100 | 100 | |
| चिकित्सा भौतिक प्रयोगशाला | | 50 | 50 | |
| बहिरंग-रोगी प्रतीक्षा रूम | | 200 | 200 | |
| लघु कीमोथेरेपी/रेडियोथेरेपी के लिए दिवा देखभाल वार्ड | | 70 | 70 | |
| विभाग का जोड़ | | | 720 | |
| फिजिकल मेडिसिन और पुनर्वास | | 1500 | 1500 | |
| नैदानिक विभाग-बहिरंग | | 6500 | 6500 | |
| रोगियों और परिचरों के लिए प्रतीक्षा स्थान/स्वागत रूम | | | | |
| पूछताछ और अभिलेख रूम | | | | |
| प्रत्येक के लिए परीक्षण रूम और मामले से संबंधित प्रदर्शन रूम | 4 | | | प्रत्येक विभाग के लिए |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|------|--------------|---|
| औषधालय | | | | |
| शास्त्रचिकित्सा और इसकी विशेषज्ञताओं के लिए मरहम-पट्टी रूम | | | | |
| नेत्र विभाग में रिफ्रेक्शन रूम, डार्क रूम, ड्रेसिंग रूम, नेत्र विभाग में प्लास्टर रूम, प्लास्टर कटिंग रूम | | | | |
| ईएनटी विभाग में साउंड प्रूफ ऑडियोमीटरी रूम, ईएनजी प्रयोगशाला, वाणी चिकित्सा कक्ष | | | | |
| बालचिकित्सा विभाग में बाल कल्याण इम्युनाइजेशन रूम आदि | | | | |
| ओजीबी विभाग में प्रसूति-पूर्व, परिवार कल्याण, स्टरिलिटी, कैंसर अभिज्ञान नैदानिक | | | | |
| दंत-चिकित्सा अनुभाग | | | | |
| ओपीडी जोड़ | | | 6500 | |
| अस्पताल जोड़ | | | 21323 | |
| आवासीय क्वार्टर/छात्रावास | | | | |
| शिक्षण के 20% की दर से क्वार्टर (का 20% =) | | 4400 | 4400 | |
| गैर-शिक्षण स्टाफ के 20% की दर से क्वार्टर (का 20% =) | | 3600 | 3600 | |
| नर्सों की संख्या के 20% की दर क्वार्टर से (का 20% =) | | 4500 | 4500 | |
| रेजिडेंट की संख्या के 100% की दर से = | | 3000 | 3000 | |
| इंटर्न्स की संख्या के 100% की दर से | | 2700 | 2700 | |
| 375 छात्रों के लिए छात्रावास (अर्थात् 500 के 75% =) | | | 3375 | |
| आवासीय परिसर का जोड़ | | | 21575 | |
| कुल जोड़ | | | 52384 | |
| 15% जोड़ें | | | 7858 | |
| सकल जोड़ | | | 60242 | |

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2010

No. MCI. 34 (41)/2009-Med./76567.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the “Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999”, namely:—

1. (i) These regulations may be called the “Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations (Amendment), 2010”.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999, the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be as indicated therein.

3. In Schedule (I), Clause A. I. I of the “Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999”, as amended by “Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations (Amendment), 2009” *vide* Notification dated 13-11-2009 and 30-01-2010 under the heading ‘CAMPUS’, be further amended by inserting the following proviso in Clause A. I. I in Schedule I:—

“Provided that the built-up area required for the total infrastructure of a medical institute—i.e. college, affiliated teaching hospital and residential complex with regard to amendments in “Minimum Requirements for the Medical College for 100 Admissions Annually Regulations, 1999” as amended in 2008/2009 as shown in separate table appended herewith is made available by the institute in mega cities (Mumbai, Kolkata, New Delhi and Chennai) and ‘A’ class cities (Ahmedabad, Hyderabad, Pune, Bangalore and Kanpur) based upon permissible FAR/FSI allowed by the competent authority in a plot of an area of not less than 10 acres.”

Lt. Col. (Retd.) Dr. A. R. N. SETALVAD, Secy.

[ADVT III/4/100/09/Exty.]

Foot Note: The Principal Regulations namely, “Minimum Requirement for 100 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999” were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 29th April, 1999, *vide* Medical Council of India Notification No. 35(1)/1998-Med. (ii) dated the 30th March, 1999 and amended *vide* corrigendum dated 24th June, 1999 and further amended *vide* Notification dated 20th October, 2008, 1st December, 2008, 13th November, 2009, 18th January, 2010 and 30th January, 2010.

APPENDIX

BUILT UP AREA REQUIREMENTS (100 ADMISSIONS)

| Item Detail | No. | Area (Sq.m.) (each) | Total (Sq.m) | Remarks |
|-------------------------------|-----|------------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Administrative Block | | | | |
| Principal/Dean's office | | 36 | 36 | |
| Staff room | | 54 | 54 | |
| College council room | | 80 | 80 | |
| Officer Superintendent's room | | 10 | 10 | |
| Office | | 150 | 150 | |
| Record room | | 100 | 100 | |
| Examination Hall | | 300 | 300 | |
| Common Room - Boys | | 100 | 100 | |
| -Girls | | 100 | 100 | |
| Cafeteria | | 200 | 200 | |
| Central Library | | 1600 | 1600 | |
| Lecture Theatres | 3 | 330 | 990 | 120 Seating capacity |
| | 1 | 660 | 660 | 250 seating capacity |
| Auditorium | 1 | 800 | 800 | 500-700 seating capacity |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|-----|-------------|--|
| Common laboratories | 6 | 170 | 1020 | |
| | 2 | 75 | 150 | |
| Central Research Laboratory | 1 | 100 | 100 | |
| Department Total | | | 6450 | |
| DEPARTMENTS | | | | |
| Anatomy | | | | |
| Demonstration room | 2 | 45 | 90 | Accommodate atleast 50-60 students |
| Dissection Hall | 1 | 250 | 250 | Accommodate atleast 100 students |
| Museum | | 150 | 150 | Accommodate 25 students to study in the museum |
| Accommodation for Staff | | | | |
| Professor & Head | 1 | 18 | 18 | |
| Asso. Prof./Reader | 1 | 15 | 15 | |
| Asst. Prof./Lecturer | 2 | 20 | 40 | |
| Tutor/Demonstrators | 4 | 15 | 60 | |
| Department office/Clerical room | 1 | 12 | 12 | |
| Non-teaching staff room | 1 | 12 | 12 | |
| Department Total | | | 647 | |
| Physiology including Bio-physics | | | | |
| Demonstration room | 1 | 45 | 45 | Accommodate atleast 50-60 students |
| Accommodation for Staff | | | | |
| Professor & Head | 1 | 18 | 18 | |
| Asso. Prof./Reader | 1 | 15 | 15 | |
| Asst. Prof./Lecturer | 2 | 20 | 40 | |
| Tutor Demonstrators | 4 | 15 | 15 | |
| Department office/Clerical room | 1 | 12 | 12 | |
| Non-teaching staff room | 1 | 12 | 12 | |
| Department Total | | | 157 | |
| Biochemistry | | | | |
| Demonstration room | 1 | 45 | 45 | Accommodate atleast 50-60 students |
| Accommodation for Staff | | | | |
| Professor & Head | 1 | 18 | 18 | |
| Asso. Prof./Reader | 1 | 15 | 15 | |
| Asst. Prof./Lecturer | 1 | 12 | 12 | |
| Tutor/Demonstrators | 4 | 15 | 60 | |
| Department office/Clerical room | 1 | 12 | 12 | |
| Non-teaching staff room | 1 | 12 | 12 | |
| Department Total | | | 174 | |
| Pathology | | | | |
| Demonstration room | 1 | 45 | 45 | Accommodate atleast 50-60 students |
| Museum | | 150 | 150 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|------------|------------|--|
| Accommodation for Staff | | | | |
| Professor & Head | 1 | 18 | 18 | |
| Asso. Prof./Reader | 2 | 15 | 30 | |
| Asst. Prof./Lecturer | 3 | 12 | 36 | |
| Tutor/Demonstrators | 5 | 15 | 75 | |
| Department office/ Clerical room | 1 | 12 | 12 | |
| Non-teaching staff room | 1 | 12 | 12 | |
| Department Total | | | 378 | |
| Blood Bank (includes) | | 100 | 100 | |
| (a) Registration & Medical Examination room | | | | |
| (b) Blood Collection room | | | | |
| (c) Room for Laboratory for Blood Group Serology | | | | |
| (d) Room for Lab. for Transmissible diseases like Hepatitis, Syphilis, Malaria, HIV antibodies etc. | | | | |
| (e) Sterilization and washing room | | | | |
| (f) Refreshment room | | | | |
| (g) Store and Records room | | | | |
| Microbiology | | | | |
| Service Laboratory | 7 | 25 | 175 | Each for bacteriology, serology, virology, parasitology, myco- logy, tuberculosis and immunology |
| Museum | | 100 | 100 | |
| Accommodation for Staff | | | | |
| Professor & Head | 1 | 18 | 18 | |
| Asso. Prof./Reader | 1 | 15 | 15 | |
| Asst. Prof./Lecturer | 2 | 12 | 24 | |
| Tutor/Demonstrators | 3 | 15 | 45 | |
| Department office/ Clerical room | 1 | 12 | 12 | |
| Non-teaching staff room | 1 | 12 | 12 | |
| Department Total | | | 401 | |
| Pharmacology | | | | |
| Demonstration room | 1 | 45 | 45 | Accommodate atleast 50-60 students |
| Museum | | 100 | 100 | |
| Accommodation for Staff | | | | |
| Professor & Head | 1 | 18 | 18 | |
| Asso. Prof./Reader | 1 | 15 | 15 | |
| Asst. Prof./Lecturer | 2 | 12 | 24 | |
| Tutor/Demonstrators | 2 | 15 | 30 | |
| Department office/ Clerical room | 1 | 12 | 12 | |
| Non-teaching staff room | 1 | 12 | 12 | |
| Department Total | | | 256 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|-----|-------------|--|
| Forensic Med. Including Toxicology | | | | |
| Demonstration room | 1 | 45 | 45 | Accommodate atleast 50-60 students. |
| Autopsy Block | | 400 | 400 | |
| Museum | | 100 | 100 | |
| Accommodation for Staff | | | | |
| Professor & Head | 1 | 18 | 18 | |
| Asso. Prof./Reader | 1 | 15 | 15 | |
| Asst. Prof./Lecturer | 1 | 12 | 12 | |
| Tutor/Demonstrators | 2 | 15 | 15 | |
| Department office/Clerical room | 1 | 12 | 12 | |
| Non-teaching staff room | 1 | 12 | 12 | |
| Department Total | | | 629 | |
| Community Medicine | | | | |
| Museum | | 150 | 150 | |
| Primary Health Centre/Rural Health Training Centre | | | | |
| Urban Health Training Centre | | | | |
| Accommodation for Staff | | | | |
| Professor & Head | 1 | 18 | 18 | |
| Asso. Prof./Reader | 2 | 15 | 30 | |
| Asst. Prof./Lecturer | 2 | 15 | 30 | |
| Statistician-cum-Lecturer | 1 | 12 | 12 | |
| Epidemiologist-cum-Lecturer | 1 | 12 | 12 | |
| Tutor/Demonstrators | 1 | 15 | 15 | |
| Department office/ Clerical room | 1 | 12 | 12 | |
| Non-teaching staff room | 1 | 15 | 15 | |
| Department Total | | | 294 | |
| COLLEGE TOTAL | | | 9486 | |
| Teaching Hospital | | | | |
| Dean's room | | 36 | 36 | |
| Medical Superintendent's room | | 36 | 36 | |
| Hospital offices for the supportive staff | | 150 | 150 | |
| Waiting space for visitors | | 300 | 300 | |
| Enquiry Office | | 50 | 50 | |
| Reception | | 300 | 300 | |
| Store rooms | | 500 | 500 | |
| Central Medical Record Section | | 200 | 200 | |
| Linen rooms | | 500 | 500 | |
| Hospital & Staff Committee room | | 60 | 60 | |
| Central Lecture theatre of gallery type | 1 | 330 | 330 | Seating capacity of 150 persons |
| Central Registration and statistics department | | 200 | 200 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|----|-------------------|-------------|-------------|
| Central Laboratories | | 150 | 150 | |
| Central Casualty Department (Incl. Minor O.T.) | | 150 | 150 | |
| Central Hospital Pharmacy | | 100 | 100 | |
| Central Kitchen | | 200 | 200 | |
| Incinerating Plant | | 40 | 40 | |
| Common Facilities | | | <u>3302</u> | |
| Clinical Departments in the Hospital (No. of beds required for 100 admission annual is 500) :— | | | | |
| | | beds/units | | |
| General Medicine | | 120/4 | | |
| Paediatrics | | 60/2 | | |
| TB & Respiratory Diseases | | 20/1 | | |
| DVL | | 10/1 | | |
| Psychiatry | | 10/1 | | |
| General Surgery | | 120/4 | | |
| Orthopedics | | 60/2 | | |
| Ophthalmology | | 20/1 | | |
| ENT | | 20/1 | | |
| Obstetrics | 35 | | | |
| Gynaecology | 20 | | | |
| Postpartum | 5 | 60/2 | | |
| Department Total | | <u>500</u> | <u>3500</u> | <u>3500</u> |
| Clinical Departments - Indoor | | | | |
| Accommodation for Nurses Duty room | | 20 | 20 | |
| Laboratory for routine examinations | | 15 | 15 | |
| Examination and treatment room | | 15 | 15 | |
| Ward Pantry | | 15 | 15 | |
| Store room for linen and other equipments | | 15 | 15 | |
| Resident Doctors and students duty room | | 20 | 20 | |
| Office for Heads of each Department & Heads of Units | | 20 | 20 | |
| Room for other unit staff | | 20 | 20 | |
| Clinical Demonstration rooms (atleast one for each department) | | 20 | 20 | |
| Total for 14 Wards /12 Departments | | | <u>2880</u> | |
| Operation Theatre Unit | | | | |
| Waiting room for patients | | 15 | 15 | |
| Preparation room | | 15 | 15 | |
| Operation Theatre | | 75 | 75 | |
| Post-operative recovery room | | 30 | 30 | |
| Soiled Linen room | | 15 | 15 | |
| Instrument room | | 15 | 15 | |
| Sterilisation room | | 15 | 15 | |
| Nurses room | | 20 | 20 | |
| Surgeon's and Anaesthetist's room | 2 | 20 | 40 | |
| Assistant's room | | 20 | 20 | |
| Observation gallery for students | | 60 | 60 | |

7 Sq.m. per bed (1.5 m
distance b/w 2 beds;
Bed width 1m')

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-----|-------------|---|
| Store rooms | | 15 | 15 | |
| Washing room | | 10 | 10 | |
| Dressing up room | | 10 | 10 | |
| Central Sterilisation Unit | | 10 | 10 | |
| Laundry | | 10 | 10 | |
| Total for 10 O.Ts. | 10 | | 3750 | |
| Labour Room | | | | |
| Waiting room for patients | | 15 | 15 | |
| Preparation room | | 15 | 15 | |
| Labour Room | | 100 | 100 | |
| Post-Partum Recovery Room | | 75 | 75 | |
| Soiled Linen room | | 15 | 15 | |
| Instrument room | | 15 | 15 | |
| Sterilisation room | | 15 | 15 | |
| Nurses room | | 20 | 20 | |
| Surgeon's and Anaesthetist's room | | 20 | 40 | |
| Assistant's room | | 20 | 20 | |
| Observation gallery for students | | 30 | 30 | |
| Store rooms | | 15 | 15 | |
| Washing room | | 10 | 10 | |
| Dressing room | | 10 | 10 | |
| Eclampsia room | | 75 | 75 | |
| Laundry | | 10 | 10 | |
| Total for Labour Room | | | 435 | |
| Radio Diagnosis | | | | |
| Room for 300mA, 500mA, 800mA IITV System, Fluroscopy System | | 36 | 36 | |
| Ultrasound room | | 15 | 15 | |
| Room for 60mA Mobile X-Ray System | | 15 | 15 | |
| Accommodation for CT-Scan System | | 20 | 20 | |
| Store room | | 25 | 25 | |
| Museum | | 25 | 25 | |
| Waiting room | | 40 | 40 | |
| Department Total | | | 176 | |
| Anaesthesiology | | | | |
| Accommodation for the Anaesthesia Deptt. in Operation theatres | | | | |
| Office for HOD & Heads of Units | | 20 | 20 | |
| Accommodation for other unit staff | | 20 | 20 | |
| Clinical Demonstration room | | 20 | 20 | |
| Department Total | | | 60 | |
| Optional Departments | | | | |
| Radiotherapy | | | | |
| Teletherapy Unit | | 100 | 100 | |
| Intracavitary Treatment room | | 50 | 50 | |
| Endocavitary surface mould therapy room | | 50 | 50 | |
| Planning room | | 50 | 50 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|-------------|--------------|---------------------|
| Room for metalling treatment | | 50 | 50 | |
| Record room | | 100 | 100 | |
| Medical physics Lab. | | 50 | 50 | |
| Outpatient waiting room | | 200 | 200 | |
| Day care ward for short chemotherapy/ Radiotherapy | | 70 | 70 | |
| Department Total | | | 720 | |
| Physical Medicine & Rehabilitation | | 1500 | 1500 | |
| Clinical Departments - Out door | | 6500 | 6500 | |
| Waiting reception space rooms for patients and attendants | | | | |
| Enquiry and record room | | | | |
| Examination rooms and case Demonstration rooms for each Dispensary | 4 | | | For each department |
| Dressing room in surgery & its specialities | | | | |
| Refraction rooms, dark rooms, dressing rooms in Ophthalmic Deptt. | | | | |
| Plaster room, plaster cutting room etc. in Orthopedics Deptt. | | | | |
| Sound proof audiometry room, ENG Lab., speech therapy rooms in ENT Deptt. | | | | |
| Child welfare, immunization room etc. in paediatrics Deptt. | | | | |
| Antenatal, family welfare, sterility, cancer detection clinics in OBG Deptt. | | | | |
| Dental Section | | | | |
| OPD TOTAL | | | 6500 | |
| HOSPITAL TOTAL | | | 21323 | |
| Residential Quarters/Hostels | | | | |
| Qtrs. @ 20% teaching 20% of | | 4400 | 4400 | |
| Qtrs. @ 20% Non-teaching 20% of | | 3600 | 3600 | |
| Nurses @ 20% | | 4500 | 4500 | |
| Residents @100% | | 3000 | 3000 | |
| Interns @ 100% | | 2700 | 2700 | |
| Hostels for 375 students (i.e. @75% of 500) | | | 3375 | |
| TOTAL RESIDENTIAL COMPLEX | | | 21575 | |
| TOTAL | | | 52384 | |
| ADD 15% | | | 7858 | |
| GRANDTOTAL | | | 60242 | |

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2010

सं. भा.आ.प. 34(41)/2009-मेडि./76567.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः :—

1. (i) इन विनियमों को "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली (संशोधन), 2010" कहा जाए।
(ii) वे भारत के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/ विलोप/ प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :—
3. दिनांक 8-7-2009, 13-11-2009 और 30-1-2010 की अधिसूचना के अंतर्गत "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली (संशोधन), 2009" द्वारा यथासंशोधित "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" की अनुसूची (1) में 'परिसर' शीर्षक के अंतर्गत खंड क.1.1 में, अनुसूची I, खंड क.1.1 में निम्नलिखित परंतुक जोड़कर पुनः संशोधित किया जाए :

"बशर्त कि 2008/2009 में यथासंशोधित "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 2009" में किए गए संशोधनों के संबंध में, इसके साथ संलग्न अलग सारणी में दर्शाए गए अनुसार, महानगरों (मुम्बई, कोलकाता, नई दिल्ली और चेन्नई) और 'ए' श्रेणी के शहरों (अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, बंगलौर और कानपुर) में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुमेय एफएआर/ एफएसआई के आधार पर, किसी आयुर्विज्ञान संस्थान अर्थात् कॉलेज, संबद्ध अध्यापन अस्पताल और आवासीय परिसर की पूरी अवसंरचना के लिए आवश्यक निर्मित क्षेत्र कम से कम 10 एकड़ के भूखंड में उपलब्ध कराया जाए।"

ल. क. (से.नि.) डॉ. ए.आर.एन. सीतलवाड, सचिव

[विज्ञापन III/4/100/09/असा.]

पाद टिप्पणी :—प्रधान नियमावली नामतः "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 30 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 35(1)/1998-मेडि. (ii) के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल, 1999 को भारत के राजपत्र के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित किया गया था और इसे दिनांक 24 जून, 1999 के शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित और दिनांक 20 अक्टूबर, 2008, 8 जुलाई, 2009, 13 नवम्बर, 2009, 18 जनवरी, 2010 तथा 30 जनवरी, 2010 की अधिसूचना के अंतर्गत पुनः संशोधित किया गया था।

परिशिष्ट

निर्मित क्षेत्र की आवश्यकताएं (150 दाखिले)

| मद विवरण | संख्या | क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) (प्रत्येक) | जोड़ (वर्ग मीटर) | अभ्युक्तियां |
|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| प्रशासनिक ब्लॉक | | | | |
| प्रधानाचार्य/डीन का कार्यालय | | 36 | 36 | |
| स्टाफ रूम | | 54 | 54 | |
| कॉलेज परिषद् रूम | | 80 | 80 | |
| कार्यालय अधीक्षक रूम | | 10 | 10 | |
| कार्यालय | | 150 | 150 | |
| अभिलेख रूम | | 100 | 100 | |
| कॉमन रूम - छात्र | | 150 | 150 | |
| - छात्राएं | | 150 | 150 | |
| कैफेटेरिया | | 300 | 300 | |
| केन्द्रीय पुस्तकालय | | 2400 | 2400 | |
| व्याख्यान थियेटर | 4 | 495 | 1980 | 180 के बैठने की क्षमता। |
| | 1 | 600 | 660 | 350 के बैठने की क्षमता। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|------|-------------|---|
| ऑडिटोरियम | 1 | 1200 | 1200 | 500-700, 750-1000 के बैठने की क्षमता । |
| कॉमन प्रयोगशालाएं | 6 | 245 | 1470 | |
| | 2 | 110 | 220 | |
| केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला | 1 | 100 | 100 | |
| विभाग का जोड़ | | | 9060 | |
| विभाग | | | | |
| शरीर-रचना विज्ञान | | | | |
| प्रदर्शन रूम | 2 | 60 | 120 | कम से कम 75-100 छात्रों के लिए स्थान । |
| विच्छेदन हाल | 1 | 325 | 325 | कम से कम 150 छात्रों के लिए स्थान । |
| म्यूजियम | | 200 | 200 | म्यूजियम में पढ़ने के लिए 35 छात्रों के लिए स्थान । |
| स्टाफ के लिए स्थान | | | | |
| प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष | 1 | 18 | 18 | |
| एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर | 2 | 15 | 30 | |
| सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता | 3 | 20 | 60 | |
| ट्यूटर/प्रदर्शक | 4 | 15 | 60 | |
| विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूम | 1 | 12 | 12 | |
| गैर-शिक्षण स्टाफ रूम | 1 | 12 | 12 | |
| विभाग का जोड़ | | | 837 | |
| जीव-भौतिकी सहित शरीरक्रिया-विज्ञान | | | | |
| प्रदर्शन रूम | 2 | 60 | 120 | कम से कम 75-100 छात्रों के लिए स्थान। |
| स्टाफ के लिए स्थान | | | | |
| प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष | 1 | 18 | 18 | |
| एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर | 1 | 15 | 15 | |
| सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता | 3 | 20 | 60 | |
| ट्यूटर/प्रदर्शक | 4 | 15 | 60 | |
| विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूम | 1 | 12 | 12 | |
| गैर-शिक्षण स्टाफ रूम | 1 | 12 | 12 | |
| विभाग का जोड़ | | | 312 | |
| जीव-रसायन | | | | |
| प्रदर्शन रूम | 2 | 60 | 120 | कम से कम 75-100 छात्रों के लिए स्थान। |
| स्टाफ के लिए स्थान | | | | |
| प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष | 1 | 18 | 18 | |
| एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर | 1 | 15 | 15 | |
| सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता | 2 | 12 | 24 | |
| ट्यूटर/प्रदर्शक | 4 | 15 | 60 | |
| विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूम | 1 | 12 | 12 | |
| गैर-शिक्षण स्टाफ रूम | 1 | 12 | 12 | |
| विभाग का जोड़ | | | 261 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|-----|-----|---|
| रोग-विज्ञान | | | | कम से कम 75-100 छात्रों के लिए स्थान। |
| प्रदर्शन रूम | 1 | 60 | 120 | |
| म्यूजियम | 1 | 90 | 90 | |
| स्टाफ के लिए स्थान | | | | |
| प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष | 1 | 18 | 18 | |
| एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर | 3 | 15 | 45 | |
| सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता | 4 | 12 | 48 | |
| ट्यूटर/प्रदर्शक | 6 | 15 | 90 | |
| विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूम | 1 | 12 | 12 | |
| गैर-शिक्षण स्टाफ रूम | 1 | 12 | 12 | |
| विभाग का जोड़ | | | 435 | |
| रक्त बैंक (निम्नलिखित सहित) | | 100 | 100 | |
| (क) पंजीकरण और चिकित्सा परीक्षण रूम | | | | |
| (ख) रक्त संग्रहण रूम | | | | |
| (ग) रक्त समूह सॉर्म-विज्ञान की प्रयोगशाला हेतु रूम | | | | |
| (घ) संचारी रोगों जैसे हेपाटाइटिस, सिफलिस, मलेरिया, एचआईवी, शरीर-रोधी आदि की प्रयोगशाला हेतु रूम | | | | |
| (ङ) निष्कीटन और चार्जिंग रूम | | | | |
| (च) रेफरेशमेंट रूम | | | | |
| (छ) भंडार तथा अभिलेख रूम | | | | |
| सूक्ष्मजीव-विज्ञान | | | | बेक्टेरियोलॉजी, सेरोलॉजी, विरोलॉजी, पेरिसिटोलॉजी, माइक्रोलॉजी, ट्यूबरकुलोसिस और इम्यूनोलॉजी प्रत्येक के लिए । |
| सेवा प्रयोगशाला | 7 | 25 | 175 | |
| म्यूजियम | | 80 | 80 | |
| स्टाफ के लिए स्थान | | | | |
| प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष | 1 | 18 | 18 | |
| एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर | 2 | 15 | 30 | |
| सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता | 2 | 12 | 24 | |
| ट्यूटर/प्रदर्शक | 4 | 15 | 60 | |
| विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूम | 1 | 12 | 12 | |
| गैर-शिक्षण स्टाफ रूम | 1 | 12 | 12 | |
| विभाग का जोड़ | | | 411 | |
| औषध-विज्ञान | | | | कम से कम 75-100 छात्रों के लिए स्थान । |
| प्रदर्शन रूम | 2 | 60 | 120 | |
| म्यूजियम | | 125 | 125 | |
| स्टाफ के लिए स्थान | | | | |
| प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष | 1 | 18 | 18 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|---|-----|--------------|--|
| एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर | 2 | 15 | 30 | |
| सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता | 2 | 12 | 24 | |
| ट्यूटर/प्रदर्शक | 3 | 15 | 45 | |
| विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूम | 1 | 12 | 12 | |
| गैर-शिक्षण स्टाफ रूम | 1 | 12 | 12 | |
| विभाग का जोड़ | | | 386 | |
| विष-विज्ञान सहित फोरेंसिक चिकित्सा | | | | |
| प्रदर्शन रूम | 2 | 60 | 120 | कम से कम 75-100 छात्रों के लिए स्थान । |
| ऑटोप्सी ब्लॉक | | 400 | 400 | |
| म्यूजिसम | | 175 | 175 | |
| स्टाफ के लिए स्थान | | | | |
| प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष | 1 | 18 | 18 | |
| एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर | 1 | 15 | 15 | |
| सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता | 2 | 12 | 24 | |
| ट्यूटर/प्रदर्शक | 3 | 15 | 45 | |
| विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूम | 1 | 12 | 12 | |
| गैर-शिक्षण स्टाफ रूम | 1 | 12 | 12 | |
| विभाग का जोड़ | | | 821 | |
| कम्युनिटी मेडिसिन | | | | |
| म्यूजियम | | 150 | 150 | |
| प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र | | | | |
| शहरी स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र | | | | |
| स्टाफ के लिए स्थान | | | | |
| प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष | 1 | 18 | 18 | |
| एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर | 2 | 15 | 30 | |
| सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता | 3 | 15 | 45 | |
| सांख्यिकीविद एवं व्याख्याता | 1 | 12 | 12 | |
| एपिडेमियोलॉजिस्ट एवं व्याख्याता | 1 | 12 | 12 | |
| ट्यूटर/प्रदर्शक | 4 | 15 | 60 | |
| विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूम | 1 | 12 | 12 | |
| गैर-शिक्षण स्टाफ रूम | 1 | 15 | 15 | |
| विभाग का जोड़ | | | 354 | |
| कॉलेज जोड़ | | | 12977 | |
| अध्यापन अस्पताल | | | | |
| डीन का रूम | | 36 | 36 | |
| चिकित्सा अधीक्षक रूम | | 36 | 36 | |
| सहायक कर्मचारियों के लिए | | | | |
| अस्पताल कार्यालय | | 150 | 150 | |
| आगंतुकों के लिए प्रतीक्षालय | | 450 | 450 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|-----|------|------------------------------------|
| पूछताछ कार्यालय | | 50 | 50 | |
| स्वागत रूम | | 400 | 400 | |
| स्टोर रूम | | 600 | 600 | |
| केंद्रीय चिकित्सा अभिलेख अनुभाग | | 250 | 250 | |
| लाइनेन रूम | | 500 | 500 | |
| अस्पताल और स्टाफ समिति रूम | | 80 | 80 | |
| टाइप-1 गैलरी का केंद्रीय व्याख्यान थिएटर | 1 | 495 | 495 | 200 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता। |
| केंद्रीय पंजीकरण और सांख्यिकी विभाग | | 200 | 200 | |
| केंद्रीय प्रयोगशालाएं | | 150 | 150 | |
| केंद्रीय आपातकालीन विभाग (लघु ओ. टी. सहित) | | 150 | 150 | |
| केंद्रीय अस्पताल फार्मसी | | 100 | 100 | |
| केंद्रीय रसोई | | 200 | 200 | |
| इनसिनेरेटिंग प्लांट | | 40 | 40 | |
| संयुक्त सुविधाएं | | | 3887 | |

अस्पताल में नैदानिक विभाग (150 वार्षिक दाखिलों के लिए अपेक्षित बिस्तारों की संख्या 750 है) :

| | | बिस्तार/यूनिट | | |
|----------------------|----|---------------|-------------|---|
| जनरल मेडिसिन | | 80/6 | | |
| बाल-विज्ञान | | 90/3 | | |
| टी.बी. तथा श्वसन रोग | | 30/1 | | |
| डिबीएल | | 15/1 | | |
| मनोरोग-विज्ञान | | 15/1 | | |
| जनरल सर्जरी | | 180/6 | | |
| विकलांग-विज्ञान | | 90/3 | | |
| नेत्रविज्ञान | | 30/1 | | |
| ईएनटी | | 30/1 | | |
| प्रसूति-विज्ञान | 50 | | | |
| स्त्रीरोग-विज्ञान | 32 | | | |
| पोस्टपार्टन | 8 | 90/3 | | |
| विभाग का जोड़ | | 750 | 5250 | 5250 |
| | | | | 7 वर्ग मीटर प्रति बिस्तर (2 बिस्तरों के बीच की दूरी 1.5 मीटर, बिस्तारों की चौड़ाई 1 मीटर) |

नैदानिक विभाग-अंतरंग

| | | |
|--|----|----|
| नर्स ड्यूटी रूम के लिए स्थान | 20 | 20 |
| नैत्य परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला | 15 | 15 |
| परीक्षण और उपचार रूम | 15 | 15 |
| वार्ड पेंटी | 15 | 15 |
| लाइनेन और अन्य उपस्करों के लिए भण्डार रूम | 15 | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-----|-------------|---|
| स्थानीय डॉक्टरों और छात्रों का इयूटी रूम | | 20 | 20 | |
| प्रत्येक विभागाध्यक्ष का कार्यालय | | 20 | 20 | |
| अन्य यूनिट स्टाफ के लिए यूनिट प्रमुख का रूम | | 20 | 20 | |
| नैदानिक प्रदर्शन रूम (प्रत्येक विभाग के लिए कम से कम एक) | | 20 | 20 | |
| 25 बाडों/12 विभागों के लिए जोड़ | | | 4000 | |
| ऑपरेशन थियेटर यूनिट | | | | |
| रोगियों के लिए प्रतीक्षा रूम | | 15 | 15 | |
| तैयारी रूम | | 15 | 15 | |
| ऑपरेशन थियेटर | | 75 | 75 | |
| पोस्ट-ऑपरेटिव रिकवरी रूम | | 30 | 30 | |
| सॉयलड लाइनेन रूम | | 15 | 15 | |
| उपकरण रूम | | 15 | 15 | |
| निष्कीटन रूम | | 15 | 15 | |
| नर्सों का रूम | | 20 | 20 | |
| सर्जन और एनेस्थेतिस्ट का रूम | 2 | 20 | 40 | |
| सहायक का कमरा | | 20 | 20 | |
| छात्रों के लिए पर्यवेक्षण दीर्घा | | 60 | 60 | |
| भण्डार रूम | | 15 | 15 | |
| वाशिंग रूम | | 10 | 10 | |
| मरहम-पट्टी रूम | | 10 | 10 | |
| केंद्रीय निष्कीटन इकाई | | 10 | 10 | |
| लौंडरी | | 10 | 10 | |
| 11 ओ.टी. के लिए जोड़ | 11 | | 4125 | |
| प्रसूति रूम | | | | |
| रोगियों के लिए प्रतीक्षा रूम | | 15 | 15 | |
| तैयारी रूम | | 15 | 15 | |
| प्रसूति रूम | | 100 | 100 | |
| पोस्ट-ऑपरेटिव रिकवरी रूम | | 75 | 75 | |
| सॉयलड लाइनेन रूम | | 15 | 15 | |
| उपकरण रूम | | 15 | 15 | |
| निष्कीटन रूम | | 15 | 15 | |
| नर्सों का रूम | | 20 | 20 | |
| सर्जन और एनेस्थेतिस्ट का रूम | | 20 | 20 | |
| सहायक रूम | | 20 | 20 | |
| छात्रों के लिए पर्यवेक्षण दीर्घा | | 30 | 30 | |
| भण्डार रूम | | 15 | 15 | |
| वाशिंग रूम | | 10 | 10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|-----|------------|---|
| मरहम-पट्टी रूम | | 10 | 10 | |
| एक्लेम्पसिया रूम | | 75 | 75 | |
| लौंडरी | | 10 | 10 | |
| प्रसूति रूम के लिए जोड़ | | | 460 | |
| विकीरण-निदान | | | | |
| 300 एमए, 500 एमए, 800 एमए, आईआईटीवी प्रणाली, फ्लूरोस्कोपी प्रणाली के लिए रूम | | 36 | 36 | |
| अल्ट्रासाउंड रूम | | 15 | 15 | |
| 60 एमए सचल एक्स-रे प्रणाली के लिए रूम | | 15 | 15 | |
| सीटी स्कैन प्रणाली के लिए स्थान | | 80 | 80 | |
| भंडार रूम | | 15 | 15 | |
| म्यूजियम | | 25 | 25 | |
| प्रतीक्षा रूम | | 40 | 40 | |
| विभाग का जोड़ | | | 226 | |
| संघेतनाहरण-विज्ञान | | | | |
| ऑपरेशन थियेटरों में संघेतनाहरण विभाग के लिए स्थान | | | | |
| विभागाध्यक्ष और यूनियों के अध्यक्ष | | 20 | 20 | |
| अन्य यूनित कर्मचारियों के लिए स्थान | | 20 | 20 | |
| नैदानिक प्रदर्शन रूम | | 20 | 20 | |
| विभाग का जोड़ | | | 60 | |
| वैकल्पिक विभाग | | | | |
| विकीरण-चिकित्सा | | 100 | 100 | |
| टेलीथेरेपी यूनिट | | 50 | 50 | |
| इंटरकेविटरी ट्रीटमेंट रूम | | 50 | 50 | |
| एंडोकेविटरी सरफेस मॉल्ड थेरेपी रूम | | 50 | 50 | |
| आयोजना रूम | | 50 | 50 | |
| मेटलिंग उपचार के लिए रूम | | 50 | 50 | |
| अभिलेख रूम | | 100 | 100 | |
| चिकित्सा भौतिक प्रयोगशाला | | 50 | 50 | |
| बहिरंग-रोगी प्रतीक्षा रूम | | 200 | 200 | |
| अंतरंग-रोगी बिस्तरे | | 200 | 200 | |
| लघु कीमोथेरेपी/रेडियोथेरेपी के लिए दिवा देखभाल चार्ज | | 70 | 70 | |
| विभाग का जोड़ | | | 920 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|------|--------------|-----------------------|
| फिजिकल मेडिसिन और पुनर्वास | | 1500 | 1500 | |
| नैदानिक विभाग-बहिरंग | | 7500 | 7500 | |
| रोगियों और परिचरों के लिए प्रतीक्षा स्थान/स्वागत रूम | | | | |
| पूछताछ और अभिलेख रूम | | | | |
| प्रत्येक के लिए परीक्षण रूम और मामले से संबंधित प्रदर्शन रूम | 4 | | | प्रत्येक विभाग के लिए |
| औषधालय | | | | |
| शल्यचिकित्सा और इसकी विशेषज्ञताओं के लिए मरहम- पट्टी रूम | | | | |
| नेत्र विभाग में रिफ्रेक्शन रूम, डार्क रूम, ड्रेसिंग रूम, नेत्र विभाग में प्लास्टर रूम, प्लास्टर कटिंग रूम | | | | |
| ईएनटी विभाग में साउंड प्रूफ ऑडियोमीटरी रूम, ईएनजी प्रयोगशाला, वाणी चिकित्सा कक्ष | | | | |
| बालचिकित्सा विभाग में बाल कल्याण, इम्युनाइजेशन रूम आदि | | | | |
| ओजीबी विभाग में प्रसूति-पूर्व, परिवार कल्याण, स्टरिलिटी, कैंसर अभिज्ञान नैदानिक | | | | |
| दंत-चिकित्सा अनुभाग | | | | |
| ओपीडी जोड़ | | | 7500 | |
| अस्पताल जोड़ | | | 26428 | |
| आवासीय क्वार्टर/छात्रावास | | | | |
| शिक्षण के 20 प्रतिशत की दर से क्वार्टर (146 का 20 प्रतिशत =30) | | 200 | 6000 | |
| गैर-शिक्षण स्टाफ के 20 प्रतिशत की दर से क्वार्टर (200 का 20 प्रतिशत =40) | | 100 | 4000 | |
| नर्सों की संख्या के 20 प्रतिशत की दर से क्वार्टर (330 का 20 प्रतिशत =66) | | 100 | 6600 | |
| रेजिडेंट की संख्या के 100 प्रतिशत की दर से =115 | | 20 | 2300 | |
| इंटर्न्स की संख्या के 100 प्रतिशत की दर से | | 1500 | 1500 | |
| 563 छात्रों के लिए छात्रावास (अर्थात् 750 के 75 प्रतिशत की दर से) | | 10 | 6000 | |
| आवासीय परिसर का जोड़ | | | 26400 | |
| कुल जोड़ | | | 65805 | |
| 1.5 प्रतिशत जोड़ें | | | 9871 | |
| सकल जोड़ | | | 75676 | |

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2010

No. MCI. 34 (41)/2009-Med./76567.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the “Minimum Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999” namely :—

1. (i) These regulations may be called the “Minimum Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations (Amendment), 2010”.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Minimum Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999, the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be as indicated therein :

3. In Schedule (I), Clause A.1.1 of the “Minimum Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999”, as amended by “Minimum Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations (Amendment), 2009” *vide* Notification dated 8-7-2009, 13-11-2009 & 30-1-2010 under the heading ‘CAMPUS’, be further amended by inserting the following proviso in Clause A.1.1 in Schedule I :—

“Provided that the built-up area required for the total infrastructure of a medical institute — i.e. college, affiliated teaching hospital and residential complex with regard to amendments in “Minimum Requirements for the Medical College for 150 Admissions Annually Regulations, 1999” as amended in 2008/2009 as shown in separate Table appended herewith is made available by the institute in mega cities (Mumbai, Kolkata, New Delhi and Chennai) and ‘A’ class cities (Ahmedabad, Hyderabad, Pune, Bangalore and Kanpur) based upon permissible FAR/FSI allowed by the competent authority in a plot of an area of not less than 10 acres.”

Lt. Col. (Retd.) Dr. A.R.N. SETALVAD, Secy.

[ADVT III/4/100/09/Exty.]

Foot Note: The Principal Regulations namely, “Minimum Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999” were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 29th April, 1999, *vide* Medical Council of India Notification No. 35(1)/1998-Med.(ii) dated the 30th March, 1999 and amended *vide* corrigendum dated 24th June, 1999 and further amended *vide* Notification dated 20th October, 2008, 8th July, 2009, 13th November, 2009, 18th January, 2010 and 30th January, 2010.

APPENDIX

BUILT UP AREA REQUIREMENTS (150 ADMISSIONS)

| Item Detail | No. | Area (Sq.m.) (each) | Total (Sq.m) | Remarks |
|-------------------------------|-----|------------------------|--------------|----------------------|
| Administrative Block | | | | |
| Principal/Dean's office | | 36 | 36 | |
| Staff room | | 54 | 54 | |
| College council room | | 80 | 80 | |
| Officer Superintendent's room | | 10 | 10 | |
| Office | | 150 | 150 | |
| Record room | | 100 | 100 | |
| Common Room—Boys | | 150 | 150 | |
| —Girls | | 150 | 150 | |
| Cafeteria | | 300 | 300 | |
| Central Library | | 2400 | 2400 | |
| Lecture Theatres | 4 | 495 | 1980 | 180 seating capacity |
| | 1 | 600 | 660 | 350 seating capacity |
| Auditorium | 1 | 1200 | 1200 | 500-700/750-1000. |
| Common laboratories | 6 | 245 | 1470 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|-----|-------------|--|
| Central Research Laboratory | 2 | 110 | 220 | |
| | 1 | 100 | 100 | |
| Department Total | | | 9060 | |
| DEPARTMENTS | | | | |
| Anatomy | | | | |
| Demonstration room | 2 | 60 | 120 | Accommodate atleast 75-100 students |
| Dissection Hall | 1 | 325 | 325 | Accommodate atleast 150 students |
| Museum | | 200 | 200 | Accommodate 35 students to study in the museum |
| Accommodation for Staff | | | | |
| Profesor & Head | 1 | 18 | 18 | |
| Asso. Prof./Reader | 2 | 15 | 30 | |
| Asst. Prof./Lecturer | 3 | 20 | 60 | |
| Tutor/Demonstrators | 4 | 15 | 60 | |
| Department office/Clerical room | 1 | 12 | 12 | |
| Non-teaching staff room | 1 | 12 | 12 | |
| Department Total | | | 837 | |
| Physiology including Bio-physics | | | | |
| Demonstration room | 2 | 60 | 120 | Accommodate atleast 75-100 students |
| Accommodation for Staff | | | | |
| Profesor & Head | 1 | 18 | 18 | |
| Asso. Prof./Reader | 2 | 15 | 30 | |
| Asst. Prof./Lecturer | 3 | 20 | 60 | |
| Tutor/Demonstrators | 4 | 15 | 60 | |
| Department office/Clerical room | 1 | 12 | 12 | |
| Non-teaching staff room | 1 | 12 | 12 | |
| Department Total | | | 312 | |
| Biochemistry | | | | |
| Demonstration room | 2 | 60 | 120 | Accommodate atleast 75-100 students |
| Accommodation for Staff | | | | |
| Professor & Head | 1 | 18 | 18 | |
| Asso. Prof./Reader | 1 | 15 | 15 | |
| Asst. Prof./Lecturer | 2 | 12 | 24 | |
| Tutor/Demonstrators | 4 | 15 | 60 | |
| Department office/Clerical room | 1 | 12 | 12 | |
| Non-teaching staff room | 1 | 12 | 12 | |
| Department Total | | | 261 | |
| Pathology | | | | |
| Demonstration room | 2 | 60 | 120 | Accommodate atleast 75-100 students |
| Museum | 1 | 90 | 90 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|------------|------------|---|
| Accommodation for Staff | | | | |
| Profesor & Head | 1 | 18 | 18 | |
| Asso. Prof./Reader | 3 | 15 | 45 | |
| Asst. Prof./Lecturer | 4 | 12 | 48 | |
| Tutor/Demonstrators | 6 | 15 | 90 | |
| Department office/ Clerical room | 1 | 12 | 12 | |
| Non-teaching staff room | 1 | 12 | 12 | |
| Department Total | | | 435 | |
| Blood Bank (includes) | | 100 | 100 | |
| (a) Registration & Medical Examination room | | | | |
| (b) Blood Collection room | | | | |
| (c) Room for Laboratory for Blood Group Serology | | | | |
| (d) Room for Lab. For Transmissible diseases like Hepatitis, Syphilis, Malaria, HIV antibodies etc. | | | | |
| (e) Sterilisation and washing room | | | | |
| (f) Refreshment room | | | | |
| (g) Store and Records room | | | | |
| Microbiology | | | | |
| Service Laboratory | 7 | 25 | 175 | Each for Bacteriology, serology, virology, parasitology, mycology, tuberculosis and immunology |
| Museum | | 80 | 80 | |
| Accommodation for Staff | | | | |
| Profesor & Head | 1 | 18 | 18 | |
| Asso. Prof./Reader | 2 | 15 | 30 | |
| Asst. Prof./Lecturer | 2 | 12 | 24 | |
| Tutor/Demonstrators | 4 | 15 | 60 | |
| Department office/ Clerical room | 1 | 12 | 12 | |
| Non-teaching staff room | 1 | 12 | 12 | |
| Department Total | | | 411 | |
| Pharmacology | | | | |
| Demonstration room | 2 | 60 | 120 | Accommodate atleast 75-100 students |
| Museum | | 125 | 125 | |
| Accommodation for Staff | | | | |
| Profesor & Head | 1 | 18 | 18 | |
| Asso. Prof./Reader | 2 | 15 | 30 | |
| Asst. Prof./Lecturer | 2 | 12 | 24 | |
| Tutor/Demonstrators | 3 | 15 | 45 | |
| Department office/ Clerical room | 1 | 12 | 12 | |
| Non-teaching staff room | 1 | 12 | 12 | |
| Department Total | | | 386 | |
| Forensic Med. Including Toxicology | | | | |
| Demonstration room | 2 | 60 | 120 | Accommodate atleast 75-100 students |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|---|-----|--------------|---------------------------------|
| Autopsy Block | | 400 | 400 | |
| Museum | | 175 | 175 | |
| Accommodation for Staff | | | | |
| Profesor & Head | 1 | 18 | 18 | |
| Asso. Prof./Reader | 1 | 15 | 15 | |
| Asst. Prof./Lecturer | 2 | 12 | 24 | |
| Tutor/Demonstrators | 3 | 15 | 45 | |
| Department office/Clerical room | 1 | 12 | 12 | |
| Non-teaching staff room | 1 | 12 | 12 | |
| Department Total | | | 821 | |
| Community Medicine | | | | |
| Museum | | 150 | 150 | |
| Primary Health Centre/Rural Health Training Centre | | | | |
| Urban Health Training Centre | | | | |
| Accommodation for Staff | | | | |
| Profesor & Head | 1 | 18 | 18 | |
| Asso. Prof./Reader | 2 | 15 | 30 | |
| Asst. Prof./Lecturer | 3 | 15 | 45 | |
| Statistician-cum-Lecturer | 1 | 12 | 12 | |
| Epidemiologist-cum-Lecturer | 1 | 12 | 12 | |
| Tutor/Demonstrators | 4 | 15 | 60 | |
| Department office/ Clerical room | 1 | 12 | 12 | |
| Non-teaching staff room | 1 | 15 | 15 | |
| Department Total | | | 354 | |
| COLLEGE TOTAL | | | 12977 | |
| Teaching Hospital | | | | |
| Dean's room | | 36 | 36 | |
| Medical Superintendent's room | | 36 | 36 | |
| Hospital offices for the supportive staff | | 150 | 150 | |
| Waiting space for visitors | | 450 | 450 | |
| Enquiry Office | | 50 | 50 | |
| Reception | | 400 | 400 | |
| Store rooms | | 600 | 600 | |
| Central Medical Record Section | | 250 | 250 | |
| Linen rooms | | 500 | 500 | |
| Hospital & Staff Committee room | | 80 | 80 | |
| Central Lecture theatre of gallery type | 1 | 495 | 495 | Seating capacity of 200 persons |
| Central Registration and Statistics Department | | 200 | 200 | |
| Central Laboratories | | 150 | 150 | |
| Central Casualty Department (Incl. Minor O.T.) | | 150 | 150 | |
| Central Hospital Pharmacy | | 100 | 100 | |
| Central Kitchen | | 200 | 200 | |
| Incinerating Plant | | 40 | 40 | |
| Common Facilities | | | 3887 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|------------|-------------|-------------|---|
| Clinical Departments in the Hospital (No. of beds required for 150 admission annual is 750) :- | | | | |
| | beds/units | | | |
| General Medicine | 180/6 | | | |
| Paediatrics | 90/3 | | | |
| TB & Respiratory Diseases | 30/1 | | | |
| DVL | 15/1 | | | |
| Psychiatry | 15/1 | | | |
| General Surgery | 180/6 | | | |
| Orthopaedics | 90/3 | | | |
| Ophthalmology | 30/1 | | | |
| ENT | 30/1 | | | |
| Obstetrics | 50 | | | |
| Gynaecology | 32 | | | |
| Postpartum | 8 | 90/3 | | |
| Department Total | 750 | 5250 | 5250 | |

7 Sq.m. per bed (1.5 m distance b/w 2 beds; Bed width 1m')

Clinical Departments - Indoor

| | | | |
|--|-----------|----|-------------|
| Accommodation for Nurses Duty room | | 20 | 20 |
| Laboratory for routine examinations | | 15 | 15 |
| Examination and treatment room | | 15 | 15 |
| Ward Pantry | | 15 | 15 |
| Store room for linen and other equipments | | 15 | 15 |
| Resident Doctors & Students duty room | | 20 | 20 |
| Office for Heads of each Department & Heads of units | | 20 | 20 |
| Room for other unit staff | | 20 | 20 |
| Clinical Demonstration rooms (atleast one for each department) | | 20 | 20 |
| Total for 25 Wards /12 Departments | | | 4000 |
| Operation Theatre Unit | | | |
| Waiting room for patients | | 15 | 15 |
| Preparation room | | 15 | 15 |
| Operation Theatre | | 75 | 75 |
| Post-operative recovery room | | 30 | 30 |
| Soiled Linen room | | 15 | 15 |
| Instrument room | | 15 | 15 |
| Sterilisation room | | 15 | 15 |
| Nurses room | | 20 | 20 |
| Surgeion's and Anaesthetist's room | 2 | 20 | 40 |
| Assistant's room | | 20 | 20 |
| Observation Gallery for students | | 60 | 60 |
| Store rooms | | 15 | 15 |
| Washing room | | 10 | 10 |
| Dressing up room | | 10 | 10 |
| Central Sterilisation Unit | | 10 | 10 |
| Laundry | | 10 | 10 |
| Total for 11 O. T. s | 11 | | 4125 |